

वित्त अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

परिपत्र संख्या 2/2018 [एफ.सं.370142/15/2017-टीपीएल] , दिनांक 15-2-2018

विवरण/पैराग्राफ संख्या

अनुभाग/अनुसूची

	वित्त अधिनियम, 2017
पहली अनुसूची	दर संरचना, 3.1-3.4
अध्याय III	आयकर अधिनियम, 1961
2	म्यूचुअल फंड की योजना के अंतर्गत योजनाओं का समेकन, 4.1-4.3 ; वरीयता शेयरों का इक्विटी शेयरों में कर-तटस्थ रूपांतरण, 26.1-26.4 ; अन्य स्रोतों से आय का दायरा बढ़ाना, 33.1-33.6
9	अप्रत्यक्ष हस्तांतरण प्रावधानों से संबंधित स्पष्टता, 5.1-5.8
9ए	, 6.1-6.5 के अंतर्गत अपतटीय निधियों के लिए विशेष कराधान व्यवस्था की शर्तों में संशोधन
10	फेरा के स्थान पर फेमा का सही संदर्भ, 7.1-7.4 ; राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से आंशिक निकासी पर कर छूट, 8.1-8.3 ; मुख्यमंत्री राहत कोष या उपराज्यपाल राहत कोष की आय पर छूट, 9.1-9.4 ; आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए कर प्रोत्साहन, 10.1-10.5 ; आयकर अधिनियम की धारा 10(38) के अंतर्गत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर पर छूट, 11.1-11.3 ; समझौते या व्यवस्था की समाप्ति पर रणनीतिक भंडार से कच्चे तेल के बचे हुए स्टॉक की बिक्री से विदेशी कंपनी की आय पर छूट, 12.1-12.3 ; छूट प्राप्त संस्थाओं द्वारा अन्य छूट प्राप्त संस्थाओं को कॉर्पस दान के मामले में छूट पर प्रतिबंध, 14.1-14.6
10 कक	13.1-13.4 के प्रावधानों का युक्तिकरण
11	छूट प्राप्त संस्थाओं द्वारा अन्य छूट प्राप्त संस्थाओं को कोष दान के मामले में छूट पर प्रतिबंध, 14.1-14.6
12ए	15.1-15.7 के तहत छूट प्राप्त संस्थाओं के मामले में उद्देश्य में परिवर्तन या संशोधन और आयकर रिटर्न दाखिल करने के संबंध में प्रक्रिया की स्पष्टता
12एए	15.1-15.7 के तहत छूट प्राप्त संस्थाओं के मामले में उद्देश्य में परिवर्तन या संशोधन और आयकर रिटर्न दाखिल करने के संबंध में प्रक्रिया की स्पष्टता
13ए	चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता, 16.1-16.4
23	स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में रखी गई गृह संपत्ति के लिए कोई काल्पनिक आय नहीं, 17.1-17.3
35ई.	नकद भुगतान पर धारा 32 के तहत मूल्यहास और धारा 35एडी के तहत पूंजीगत व्यय की अस्वीकृति, 20.1-20.4
36	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के संबंध में कटौती सीमा में वृद्धि, 18.1-18.3
40ए	नकद लेनदेन को हतोत्साहित करने के उपाय, 19.1-19.3 ; निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन से संबंधित आयकर अधिनियम की धारा 92BA का दायरा, 44.1-44.4
43	नकद भुगतान पर धारा 32 के तहत मूल्यहास और धारा 35एडी के तहत पूंजीगत व्यय की अस्वीकृति, 20.1-20.4
43बी	सहकारी बैंकों तक धारा 43डी का दायरा बढ़ाना, 21.1-21.4
43डी	सहकारी बैंकों तक धारा 43डी का दायरा बढ़ाना, 21.1-21.4
44एए	व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में खाता बही के रखरखाव की प्रारंभिक सीमा में वृद्धि, 22.1-22.3
44एबी	23.1-23.3 के तहत खातों की लेखापरीक्षा की आवश्यकता से कुछ निर्दिष्ट व्यक्तियों को बाहर रखा जाना
44ई.	छोटे असंगठित व्यवसायों के मामले में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उपाय, 24.1-24.3
45	संयुक्त विकास समझौते के मामले में पूंजीगत लाभ की गणना के लिए विशेष प्रावधान, 25.1-25.8
47	कर-तटस्थ वरीयता शेयरों का इक्विटी शेयरों में रूपांतरण, 26.1-26.4 ; पूंजीगत लाभ छूट का रुपया मूल्यवर्गित बांडों तक विस्तार, 27.1-27.5
48	रुपया मूल्यवर्ग बांडों तक पूंजीगत लाभ छूट का विस्तार, 27.1-27.5 ; पूंजीगत लाभ की गणना के लिए आधार वर्ष को 1981 से 2001 में स्थानांतरित करना, 32.1-32.4

49	म्यूचुअल फंड की एक योजना के भीतर योजनाओं का समेकन, 4.1-4.3 ; आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए कर प्रोत्साहन, 10.1-10.5 ; संयुक्त विकास समझौते के मामले में पूंजीगत लाभ की गणना के लिए विशेष प्रावधान, 25.1-25.8 ; वरीयता शेयरों का इक्विटी शेयरों में कर-तटस्थ रूपांतरण, 26.1-26.4 ; धारा 115TD के तहत अर्जित आय पर कर लगाने के मामले में संस्थाओं की पूंजीगत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की लागत, 28.1-28.4 ; एक विदेशी कंपनी के कर-तटस्थ विभाजन में अधिग्रहण की लागत, 29.1-29.3 ; अन्य स्रोतों से आय का दायरा बढ़ाना, 33.1-33.6
50सीए	उचित बाजार मूल्य कुछ मामलों में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य होगा, 30.1-30.3
54 ईसी	31.1-31.3 के अंतर्गत दीर्घकालिक बांडों के दायरे का विस्तार
55	पूंजीगत लाभ की गणना के लिए आधार वर्ष 1981 से 2001 में स्थानांतरण, 32.1-32.4
56	अन्य स्रोतों से आय का दायरा बढ़ाना, 33.1-33.6
58	निवासी को भुगतान से कर की कटौती न करने की अस्वीकृति, 34.1-34.3
71	गृह संपत्ति से होने वाले नुकसान के समायोजन पर प्रतिबंध, 35.1-35.3
79	कुछ कंपनियों के मामले में हानि को आगे ले जाना और समायोजित करना, 36.1-36.3
80सीसीडी	स्व-नियोजित व्यक्ति के लिए धारा 80सीसीडी के तहत कटौती का युक्तिकरण, 37.1-37.3
80सीसीजी	38.1-38.3 के तहत कटौती का युक्तिकरण
80 जी	नकद दान पर प्रतिबंध, 39.1-39.3
80-आईएसी	स्टार्ट-अप द्वारा कटौती का दावा करने की अवधि का विस्तार, 40.1-40.3
80-आईबीए	किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए धारा 80-आईबीए के प्रावधानों का युक्तिकरण, 41.1-41.3
87ए	42.1-42.3 के तहत स्वीकार्य छूट का युक्तिकरण
90	43.1-43.5 के तहत किए गए समझौते में प्रयुक्त 'शर्तों' की व्याख्या के संबंध में स्पष्टीकरण
90ए	43.1-43.5 के तहत किए गए समझौते में प्रयुक्त 'शर्तों' की व्याख्या के संबंध में स्पष्टीकरण
92बीए	निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन से संबंधित आयकर अधिनियम की धारा 92BA का दायरा, 44.1-44.4
92ई.	कुछ मामलों में द्वितीयक समायोजन, 45.1-45.6
94बी	कुछ मामलों में ब्याज कटौती की सीमा, 46.1-46.8
115बीबीडीए	लाभांश के माध्यम से आय पर कराधान का युक्तिकरण, 47.1-47.3
115बीबीजी	कार्बन क्रेडिट के हस्तांतरण से आय, 48.1-48.4
115जेएए	न्यूनतम वैकल्पिक कर और वैकल्पिक न्यूनतम कर के लिए कर क्रेडिट से संबंधित प्रावधानों का युक्तिकरण, 49.1-49.5
115जेबी	50.1-50.7 के अनुरूप धारा 115जेबी के प्रावधानों का युक्तिकरण
115जेडी	न्यूनतम वैकल्पिक कर और वैकल्पिक न्यूनतम कर के लिए कर क्रेडिट से संबंधित प्रावधानों का युक्तिकरण, 49.1-49.5
119	स्रोत पर कर की कटौती या संग्रहण में विफलता के लिए दंड के संबंध में निर्देश जारी करने के लिए बोर्ड को सशक्त बनाना, 51.1-51.3
132	तलाशी आदि करने के लिए विश्वास करने का कारण प्रकट नहीं किया जाना चाहिए, 52.1-52.5 ; अनंतिम कुर्की की शक्ति और मूल्यांकन अधिकारी को प्राधिकृत अधिकारी को संदर्भित करने की शक्ति, 53.1-53.5
132ए	तलाशी आदि करने का विश्वास करने का कारण प्रकट नहीं किया जाना चाहिए, 52.1-52.5
133	सूचना मांगने की शक्ति के संबंध में प्रावधानों का युक्तिकरण, 54.1-54.4
133ए	सर्वेक्षण करने की शक्ति का विस्तार, 55.1-55.3
133सी	56.1-56.3 के तहत केंद्रीकृत नोटिस जारी करने और सूचना के प्रसंस्करण को सक्षम करने के लिए विधायी ढांचा
139	कुछ छूट प्राप्त संस्थाओं द्वारा रिटर्न प्रस्तुत करना अनिवार्य, 57.1-57.3 ; मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना को पूरा करने के लिए समय-सीमा को युक्तिसंगत बनाना और संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए समय को कम करना, 60.1-60.13

139ए	आधार संख्या का उल्लेख, 58.1-58.6
140ए	रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए शुल्क, 73.1-73.7
143	निर्धारित समय के भीतर रिटर्न की प्रोसेसिंग और कुछ मामलों में रिफंड को रोकने में सक्षम बनाना, 59.1-59.5 ; रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए शुल्क, 73.1-73.7
153	मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना के पूरा होने के लिए समय-सीमा को युक्तिसंगत बनाना और संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए समय को कम करना, 60.1-60.13
153ए	तलाशी मूल्यांकन पूरा करने के लिए समय-सीमा के संबंध में प्रावधानों का युक्तिकरण, 61.1-61.7 ; आय घोषणा योजना, 2016 के प्रावधानों का युक्तिकरण और धारा 153ए और 153सी में परिणामी संशोधन, 80.1-80.7
153बी	खोज मूल्यांकन पूरा करने के लिए समय सीमा के संबंध में प्रावधानों का युक्तिकरण, 61.1-61.7
153सी	आय घोषणा योजना, 2016 के प्रावधानों का युक्तिकरण और धारा 153ए और 153सी में परिणामी संशोधन, 80.1-80.7
155	विवाद के मामलों में भुगतान किए गए विदेशी कर के लिए क्रेडिट का दावा सक्षम करना, 62.1-62.3
194-आईबी	कुछ व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में स्रोत पर कर की कटौती, 63.1-63.7
194-आईसी	संयुक्त विकास समझौते के मामले में पूंजीगत लाभ की गणना के लिए विशेष प्रावधान, 25.1-25.8
194जे	64.1-64.3 के तहत पेशेवर या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के मामले में स्रोत पर कर कटौती के प्रावधानों का सरलीकरण
194एलए	65.1-65.5 के तहत छूट प्राप्त मुआवजे के मामले में कर की कटौती न करना
194एलसी	बाह्य वाणिज्यिक उधार के मामले में ब्याज पर रियायती कर दर की पात्र अवधि का विस्तार और रुपया मूल्यवर्ग बांडों के लिए लाभ का विस्तार, 66.1-66.8
194एलडी	67.1-67.3 के तहत रियायती कर दर की पात्र अवधि का विस्तार
197ए	68.1-68.3 के तहत निर्दिष्ट कमीशन भुगतान के लिए फॉर्म 15जी/15एच दाखिल करने की सुविधा
204	धारा 195 की उपधारा (6) के अंतर्गत आने वाले भुगतानों के मामले में 'भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति' की परिभाषा, 69.1-69.4
206सी	निर्दिष्ट वस्तुओं, सेवाओं और खरीदारों के मामले में धारा 206सी के तहत स्रोत पर कर संग्रह से छूट , 70.1-70.5 ; नकद लेनदेन पर प्रतिबंध, 77.1-77.6
206सीसी	टीसीएस व्यवस्था में पैन उद्धृत करने की व्यवस्था को मजबूत करना, 71.1-71.3
211	अग्रिम कर से संबंधित धारा 211 और धारा 234सी का युक्तिकरण, 72.1-72.6
234सी	अग्रिम कर से संबंधित धारा 211 और धारा 234सी का युक्तिकरण, 72.1-72.6
234एफ	रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए शुल्क, 73.1-73.7
241ए	निर्धारित समय के भीतर रिटर्न की प्रक्रिया और कुछ मामलों में रिफंड को रोकने में सक्षम बनाना, 59.1-59.5
244ए	कटौतीकर्ता को देय धन वापसी पर ब्याज, 74.1-74.3
245ए	मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना के पूरा होने के लिए समय-सीमा को युक्तिसंगत बनाना और संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए समय को कम करना, 60.1-60.13
245एन	अग्रिम निर्णय प्राधिकरण की संरचना में संशोधन, 75.1-75.4
245-ओ	अग्रिम निर्णय प्राधिकरण की संरचना में संशोधन, 75.1-75.4
245क्यू	अग्रिम निर्णय प्राधिकरण की संरचना में संशोधन, 75.1-75.4
253	धारा 253, 76.1-76.3 का संशोधन
269एसटी	नकद लेनदेन पर प्रतिबंध, 77.1-77.6
271डीए	नकद लेनदेन पर प्रतिबंध, 77.1-77.6
271एफ	रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए शुल्क, 73.1-73.7
271जे	वैधानिक रिपोर्ट या प्रमाणपत्र में गलत जानकारी देने पर पेशेवरों पर जुर्माना, 78.1-78.4
273बी	वैधानिक रिपोर्ट या प्रमाणपत्र में गलत जानकारी देने पर पेशेवरों पर जुर्माना, 78.1-78.4

अध्याय VI	मिश्रित
भाग XIII	वित्त अधिनियम, 2016 में संशोधन
50	79.1-79.4 की प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण
197	आय घोषणा योजना, 2016 के प्रावधानों का युक्तिकरण और धारा 153ए और 153सी में परिणामी संशोधन, 80.1-80.7

1 परिचय

1.1 वित्त अधिनियम, 2017 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) संसद द्वारा पारित किया गया, जिसे 31 मार्च, 2017 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और इसे 2017 के अधिनियम संख्या 7 के रूप में अधिनियमित किया गया। यह परिपत्र प्रत्यक्ष करों से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के सार को स्पष्ट करता है।

2. अधिनियम द्वारा किए गए परिवर्तन

2.1 अधिनियम में-

- (i) कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए आयकर की दरें तथा आयकर की दरें निर्दिष्ट की गईं जिनके आधार पर स्रोत पर कर की कटौती की जानी है तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अग्रिम कर का भुगतान किया जाना है;
- (ii) संशोधित धाराएं 2, 9, 9A, 10, 10AA, 11, 12A, 12AA, 13A, 23, 35AD, 36, 40A, 43, 43B, 43D, 44AA, 44AB, 44AD, 45, 47, 48, 49, 54EC, 55, 56, 58, 71, 79, 80CCD, 80CCG, 80G, 80-IAC, 80-IBA, 87A, 90, 90A, 92BA, 115BBDA, 115JAA, 115JB, 115JD, 119, 132, 132A, 133, 133A, 133C, आयकर अधिनियम, 1961 ('आयकर अधिनियम') की धारा 139, 140ए, 143, 153, 153ए, 153बी, 153सी, 155, 194जे, 194एलए, 194एलसी, 194एलडी, 197ए, 204, 206सी, 211, 234सी, 244ए, 245ए, 245एन, 245-ओ, 245क्यू, 253, 271एफ और 273बी;
- (iii) आयकर अधिनियम में नई धाराएं 50सीए, 92सीई, 94बी, 115बीबीजी, 139एए, 194-आईबी, 194-आईसी, 206सीसी, 234एफ, 241ए, 269एसटी, 271डीए और 271जे जोड़ी गईं;
- (वी) वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 50 और 197 में संशोधन किया गया।

3. दर संरचना

3.1 निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए कर योग्य आय के संबंध में आयकर की दरें।

3.1.1 अधिनियम की प्रथम अनुसूची का भाग I, कर-देय सभी श्रेणियों के करदाताओं की आय के संबंध में कर की दरें निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए निर्दिष्ट करता है। ये दरें वित्त अधिनियम, 2016 की प्रथम अनुसूची के भाग III में निर्धारित दरों के समान हैं, जिसे कराधान विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का संख्या 48) द्वारा संशोधित किया गया है। ये दरें वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 'अग्रिम कर' की गणना, 'वेतन' से स्रोत पर कर की कटौती और कुछ मामलों में देय कर के प्रभारण के प्रयोजनों के लिए लागू हैं।

उक्त भाग-I में निर्दिष्ट दरों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

3.1.2 व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का निकाय या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति।

प्रथम अनुसूची के भाग 1 का पैराग्राफ ए प्रत्येक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों के संघ, व्यक्तियों के निकाय या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (सहकारी समिति, फर्म, स्थानीय प्राधिकरण और कंपनी के अलावा) के मामले में आयकर की दरें निम्नानुसार निर्दिष्ट करता है: -

कर योग्य आय	आयकर की दर	
	व्यक्ति (वरिष्ठ एवं अति वरिष्ठ नागरिक को छोड़कर), एचयूएफ, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का निकाय और कृत्रिम विधिक व्यक्ति।	भारत में निवास करने वाला व्यक्ति जिसकी आय साठ वर्ष या उससे अधिक किन्तु अस्सी वर्ष से कम हो (वरिष्ठ नागरिक)
2,50,000 रुपये तक	शून्य	शून्य
रु. 2,50,001 - रु. 3,00,000		
रु. 3,00,001 - रु. 5,00,000	10%	10%

रु. 5,00,001 - रु. 10,00,000	20%	20%
10,00,000 रुपये से अधिक	30%	30%

एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय वाले व्यक्ति के मामले में, इस प्रकार संगणित आयकर की राशि में ऐसे आयकर के पंद्रह प्रतिशत की दर से अधिभार जोड़ा जाएगा। हालाँकि, सीमांत राहत उपलब्ध होगी, इसलिए एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि, एक करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से, एक करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

आयकर पर शिक्षा उपकर, अधिभार सहित गणना की गई कर राशि पर दो प्रतिशत की दर से लगाया जाता रहेगा। इसके अतिरिक्त, गणना की गई कर राशि में अधिभार सहित ऐसे आयकर पर एक प्रतिशत की दर से माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर नामक अतिरिक्त अधिभार भी जोड़ा जाएगा।

शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।

उदाहरण के लिए, यदि साठ वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति की आय 1,01,00,000 रुपये है और आयकर की गणना 28,55,000 रुपये है। ऐसे कर पर पंद्रह प्रतिशत की दर से आयकर पर अधिभार 4,28,250 रुपये है। इस प्रकार, सीमांत राहत प्रदान किए बिना अधिभार सहित कुल आयकर 32,83,250 रुपये है। सीमांत राहत प्रदान करने पर, अधिभार सहित आयकर 29,55,000 रुपये तक सीमित हो जाएगा। तब 29,55,000 रुपये पर दो प्रतिशत का शिक्षा उपकर लगाया जाएगा, जो 59,100 रुपये होगा। इसके अतिरिक्त, गणना किए गए कर की राशि में आयकर पर एक प्रतिशत की दर से माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर नामक अतिरिक्त उपकर भी जोड़ा जाएगा, जो कि 29,55,000 रुपये के आयकर के वर्तमान मामले के लिए 29,550 रुपये होता है। इस प्रकार, जहां गणना किए गए कर की राशि 29,55,000 रुपये है, दो प्रतिशत का शिक्षा उपकर 59,100 रुपये है, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर 29,550 रुपये है। इस मामले में कुल उपकर 88,650 रुपये (अर्थात् 59,100 रुपये + 29,550 रुपये) होगा। ऐसे उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।

3.1.3 सहकारी समितियां.

अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 1 के पैराग्राफ बी में प्रत्येक सहकारी समिति के मामले में आयकर की दरें निम्नानुसार निर्दिष्ट की गई हैं:-

कर योग्य आय	दर
10,000 रुपये तक	10%
10,001 रुपये से 20,000 रुपये	20%
20,000 रुपये से अधिक	30%

एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय वाली सहकारी समिति के मामले में, इस प्रकार संगणित आयकर की राशि में ऐसे आयकर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार जोड़ा जाएगा। तथापि, सीमांत राहत इस प्रकार उपलब्ध होगी कि एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि, एक करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से, एक करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

आयकर पर शिक्षा उपकर, अधिभार सहित गणना की गई कर राशि पर दो प्रतिशत की दर से लगाया जाता रहेगा। इसके अतिरिक्त, गणना की गई कर राशि में अधिभार सहित ऐसे आयकर पर एक प्रतिशत की दर से माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर नामक अतिरिक्त अधिभार भी जोड़ा जाएगा।

शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।

3.1.4 फर्में.

अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 1 के पैराग्राफ सी में प्रत्येक फर्म के मामले में आयकर की दर तीस प्रतिशत निर्धारित की गई है।

एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय वाली फर्म के मामले में, इस प्रकार संगणित आयकर की राशि में ऐसे आयकर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार जोड़ा जाएगा। तथापि, सीमांत राहत इस प्रकार उपलब्ध होगी कि एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि, एक करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से, एक करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

आयकर पर शिक्षा उपकर, अधिभार सहित गणना की गई कर राशि पर दो प्रतिशत की दर से लगाया जाता रहेगा। इसके अतिरिक्त, गणना की गई कर राशि में अधिभार सहित ऐसे आयकर पर एक प्रतिशत की दर से माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर नामक अतिरिक्त अधिभार भी जोड़ा जाएगा।

शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।

3.1.5 स्थानीय प्राधिकरण.

अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 1 के पैराग्राफ डी में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण के मामले में आयकर की दर तीस प्रतिशत निर्धारित की गई है।

एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय वाले स्थानीय प्राधिकरण के मामले में, इस प्रकार संगणित आयकर की राशि में ऐसे आयकर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार जोड़ा जाएगा। तथापि, सीमांत राहत इस प्रकार उपलब्ध होगी कि एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय

कुल राशि, एक करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से, एक करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

आयकर पर शिक्षा उपकर, अधिभार सहित गणना की गई कर राशि पर दो प्रतिशत की दर से लगाया जाता रहेगा। इसके अतिरिक्त, गणना की गई कर राशि में अधिभार सहित ऐसे आयकर पर एक प्रतिशत की दर से माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर नामक अतिरिक्त अधिभार भी जोड़ा जाएगा।

शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।

3.1.6 कंपनियाँ.

अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 1 का पैराग्राफ ई कंपनी के मामले में आयकर की दरें निर्दिष्ट करता है।

घरेलू कंपनी के मामले में, आयकर की दर — है

- (ए) कुल आय का उनतीस प्रतिशत, यदि पिछले वर्ष 2014-15 में कंपनी का कुल कारोबार या सकल प्राप्तियां पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;
- (बी) कंपनी के विकल्प पर कुल आय का पच्चीस प्रतिशत, यदि वह आयकर अधिनियम की धारा 115बीए के तहत निहित शर्तों को पूरा करती है;
- (सी) अन्य सभी मामलों में कुल आय का तीस प्रतिशत।

यदि ऐसी घरेलू कंपनी की कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक परंतु दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, तो गणना किए गए कर में सात प्रतिशत का अधिभार जोड़ा जाएगा। यदि कंपनी की कुल आय दस करोड़ रुपये से अधिक है, तो बारह प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाएगा।

घरेलू कंपनी के अलावा किसी कंपनी के मामले में, 31.03.1961 के बाद लेकिन 01.04.1976 से पहले किए गए किसी अनुमोदित समझौते के तहत सरकार या किसी भारतीय संस्था से प्राप्त रॉयल्टी से आय पर पचास प्रतिशत कर लगाया जाएगा। इसी तरह, 29.02.1964 के बाद लेकिन 01.04.1976 से पहले किए गए किसी अनुमोदित समझौते के तहत सरकार या किसी भारतीय संस्था से ऐसी कंपनी द्वारा प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क से आय पर पचास प्रतिशत कर लगाया जाएगा। ऐसी कंपनी की कुल आय के शेष पर कर की दर चालीस प्रतिशत होगी। जहां ऐसी कंपनी की कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, वहां गणना किए गए कर में दो प्रतिशत का अधिभार बढ़ाया जाएगा। यदि ऐसी कंपनी की कुल आय दस करोड़ रुपये से अधिक है तो पांच प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाएगा।

तथापि, प्रत्येक कंपनी के मामले में सीमांत राहत की अनुमति दी जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि: (i) एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि, एक करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से, एक करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी, (ii) दस करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि, दस करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि से, दस करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

प्रत्येक कंपनी के मामले में, आयकर पर शिक्षा उपकर, गणना की गई कर राशि पर दो प्रतिशत की दर से लगाया जाता रहेगा, जिसमें अधिभार भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, कर और अधिभार की ऐसी राशि में, आयकर पर माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर नामक एक अतिरिक्त अधिभार भी जोड़ा जाएगा, जो गणना की गई कर राशि पर एक प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा, जिसमें अधिभार भी शामिल है।

शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।

3.2 वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कुछ आय से स्रोत पर आयकर की कटौती की दरें।

3.2.1 अधिनियम की प्रथम अनुसूची का भाग II, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान स्रोत पर आयकर की कटौती की दरें निर्दिष्ट करता है, प्रत्येक मामले में जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 193, 194, 194ए, 194बी, 194बीबी, 194डी, 194एलबीए, 194एलबीबी, 194एलबीसी और 195 के प्रावधानों के अंतर्गत लागू दरों पर कर काटा जाना है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान स्रोत पर आयकर की कटौती की दरें वित्त अधिनियम, 2016 की प्रथम अनुसूची के भाग II में निर्दिष्ट दरों के समान ही रहेंगी।

3.2.2 अधिभार.

निम्नलिखित मामलों में स्रोत पर कटौती किए गए कर को संघ के प्रयोजनों के लिए, नीचे निर्दिष्ट अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा:

- (में) प्रत्येक अनिवासी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या व्यक्तियों के संघ या व्यक्तियों के निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के मामले में, अधिभार की दर — है
- (ए) ऐसे आयकर का दस प्रतिशत, जहां भुगतान की गई या भुगतान किए जाने की संभावना वाली आय या ऐसी आय का कुल योग और कटौती के अधीन पचास लाख रुपये से अधिक है, लेकिन एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;
- (बी) ऐसे आयकर का पंद्रह प्रतिशत, जहां भुगतान की गई या भुगतान किए जाने की संभावना वाली आय या ऐसी आय का कुल योग और

- कटौती के अधीन एक करोड़ रुपये से अधिक है;
- (ii) प्रत्येक अनिवासी सहकारी समिति या फर्म के मामले में, अधिभार की दर बारह प्रतिशत है, जहां भुगतान की गई या भुगतान किए जाने की संभावना वाली और कटौती के अधीन आय या ऐसी आय का कुल योग एक करोड़ रुपये से अधिक है; (iii) विदेशी कंपनियों को किए गए भुगतान के मामले में, अधिभार की दर —^६
- (ए) ऐसे आयकर का दो प्रतिशत, जहां भुगतान की गई या भुगतान किए जाने की संभावना वाली आय या ऐसी आय का कुल योग और कटौती के अधीन एक करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;
- (बी) ऐसे आयकर का पांच प्रतिशत, जहां ऐसी आय या किसी विदेशी कंपनी को भुगतान की गई या भुगतान किए जाने की संभावना वाली ऐसी आय का कुल योग और कटौती के अधीन दस करोड़ रुपये से अधिक है।
- (iv) किसी व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों के संघ, व्यक्तियों के निकाय, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, सहकारी समिति, स्थानीय प्राधिकरण, फर्म, निवासी या घरेलू कंपनी के मामले में स्रोत पर कर कटौती पर कोई अधिभार नहीं लगाया जाएगा।

3.2.3 शिक्षा उपकर.

संघ के प्रयोजनों के लिए, आयकर और अधिभार, यदि कोई हो, के दो प्रतिशत की दर से आयकर पर शिक्षा उपकर लगाया जाता रहेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी विदेशी कंपनी की आय 1,20,00,000 रुपये है और ऐसी विदेशी कंपनी से 10 प्रतिशत की दर से 12,00,000 रुपये का कर काटा जाना है, तो ऐसे काटे गए कर पर दो प्रतिशत की दर से अधिभार 24,000 रुपये होगा। काटे गए कर और अधिभार की ऐसी राशि पर शिक्षा उपकर (अर्थात् 12,00,000 रुपये + 24,000 रुपये = 12,24,000 रुपये) 24,480 रुपये होगा।

इसके अतिरिक्त, काटे गए कर और अधिभार की राशि में, ऐसे सभी मामलों में आयकर पर एक प्रतिशत की दर से माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर नामक अतिरिक्त अधिभार जोड़ा जाएगा। इस प्रकार, उपरोक्त उदाहरण में, जहाँ काटे गए कर की राशि 12,00,000/- रुपये है, अधिभार 24,000/- रुपये है, उक्त माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर की गणना 12,24,000/- रुपये पर एक प्रतिशत की दर से की जाएगी, जो 12,240/- रुपये होगा। इस प्रकार, इस मामले में कुल उपकर 36,720 रुपये (अर्थात् 24,480/- रुपये + 12,240/- रुपये) होगा।

3.3 वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर आयकर की कटौती, "अग्रिम कर" की गणना और विशेष मामलों में आयकर वसूलने की दरें।

3.3.1 अधिनियम की प्रथम अनुसूची का भाग III वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 'वेतन' से स्रोत पर आयकर की कटौती और अग्रिम कर की गणना के लिए दरें निर्दिष्ट करता है। ये दरें वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान उन मामलों में वर्तमान आय पर आयकर लगाने के लिए भी लागू हैं जहाँ त्वरित मूल्यांकन किया जाना है, जैसे, भारत में अनिवासियों को होने वाले शिपिंग लाभों का अनंतिम मूल्यांकन, उस वित्तीय वर्ष के दौरान भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों का मूल्यांकन, कर से बचने के लिए संपत्ति हस्तांतरित करने वाले व्यक्तियों का मूल्यांकन, अल्पावधि के लिए गठित निकायों का मूल्यांकन, आदि। दरें इस प्रकार हैं:-

3.3.2 व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का निकाय या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति।

प्रथम अनुसूची के भाग III का पैराग्राफ 'ए' प्रत्येक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों के संघ, व्यक्तियों के निकाय या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (सहकारी समिति, फर्म, स्थानीय प्राधिकरण और कंपनी को छोड़कर) के मामले में आयकर की दरें निर्दिष्ट करता है। विभिन्न श्रेणियों के लिए मूल छूट सीमाएँ, कर की दरें और आय के स्लैब वित्तीय वर्ष 2015-16 के समान ही रहेंगे।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कर की दरें इस प्रकार हैं:-

कर योग्य आय	आयकर की दर	
	व्यक्ति (वरिष्ठ एवं अति वरिष्ठ नागरिक को छोड़कर), एचयूएफ, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का निकाय और कृत्रिम विधिक व्यक्ति।	भारत में निवास करने वाला व्यक्ति जिसकी आयु साठ वर्ष या उससे अधिक किन्तु अस्सी वर्ष से कम हो। (वरिष्ठ नागरिक)
2,50,000 रुपये तक	शून्य	शून्य
रु. 2,50,001 - रु. 3,00,000	5%	
रु. 3,00,001 - रु. 5,00,000		5%
रु. 5,00,001 - रु.	20%	20%

10,00,000

10,00,000 रुपये से

30%

30%

अधिक

इस प्रकार संगणित आयकर की राशि में, पचास लाख रुपये से अधिक किन्तु एक करोड़ रुपये से अनधिक कुल आय वाले व्यक्ति के मामले में, ऐसे आयकर के दस प्रतिशत की दर से अधिभार जोड़ा जाएगा, और एक करोड़ रुपये से अधिक कुल आय वाले व्यक्ति के मामले में, ऐसे आयकर के पंद्रह प्रतिशत की दर से अधिभार जोड़ा जाएगा। हालाँकि, सीमांत राहत उपलब्ध होगी ताकि, इससे अधिक कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि,

- (ए) पचास लाख रुपये से अधिक किन्तु एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं, पचास लाख रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से पचास लाख रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी;
- (बी) एक करोड़ रुपये से अधिक की आय एक करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से एक करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

आयकर पर शिक्षा उपकर, अधिभार सहित गणना की गई कर राशि पर दो प्रतिशत की दर से लगाया जाता रहेगा। इसके अतिरिक्त, गणना की गई कर राशि में आयकर पर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर नामक एक अतिरिक्त अधिभार भी जोड़ा जाएगा, जो अधिभार सहित ऐसे आयकर पर एक प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा। शिक्षा उपकर और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।

3.3.3 सहकारी समितियां.

अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैराग्राफ 'बी' में प्रत्येक सहकारी समिति के मामले में आयकर की दरें निर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें इस प्रकार हैं:-

कर योग्य आय	दर
10,000 रुपये तक	10%
10,001 रुपये से 20,000 रुपये	20%
20,000 रुपये से अधिक	30%

एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय वाली सहकारी समिति के मामले में, इस प्रकार संगणित आयकर की राशि में ऐसे आयकर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार की वृद्धि जारी रहेगी। तथापि, सीमांत राहत इस प्रकार उपलब्ध होगी कि एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि, एक करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से, एक करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

आयकर पर शिक्षा उपकर और आयकर पर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर, अधिभार सहित गणना की गई आयकर राशि पर क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा। शिक्षा उपकर और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।

3.3.4 फर्में.

अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैराग्राफ सी में प्रत्येक फर्म के मामले में आयकर की दर तीस प्रतिशत निर्धारित की गई है।

एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय वाली फर्म के मामले में, इस प्रकार संगणित आयकर की राशि में ऐसे आयकर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार जोड़ा जाता रहेगा। तथापि, सीमांत राहत इस प्रकार उपलब्ध होगी कि एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि, एक करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से, एक करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

आयकर पर शिक्षा उपकर, अधिभार सहित गणना की गई कर राशि पर दो प्रतिशत की दर से लगाया जाता रहेगा। इसके अतिरिक्त, गणना की गई कर राशि में आयकर पर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर नामक एक अतिरिक्त अधिभार भी जोड़ा जाएगा, जो अधिभार सहित ऐसे आयकर पर एक प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा। शिक्षा उपकर और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।

3.3.5 स्थानीय प्राधिकरण.

अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैराग्राफ डी में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण के मामले में आयकर की दर तीस प्रतिशत निर्धारित की गई है।

एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय वाले स्थानीय प्राधिकरण के मामले में, इस प्रकार संगणित आयकर की राशि में ऐसे आयकर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार जोड़ा जाता रहेगा। तथापि, सीमांत राहत इस प्रकार उपलब्ध होगी कि एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि, एक करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से, एक करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

आयकर पर शिक्षा उपकर और आयकर पर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर, आयकर और अधिभार की राशि पर क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा। शिक्षा उपकर और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।

3.3.6 कंपनियाँ.

अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग III का पैराग्राफ ई कंपनी के मामले में आयकर की दर निर्दिष्ट करता है।

घरेलू कंपनी के मामले में, आयकर की दर — है

- (ए) कुल आय का पच्चीस प्रतिशत, यदि पिछले वर्ष 2015-16 में कंपनी का कुल कारोबार या सकल प्राप्तियां पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं हैं;
- (बी) कुल आय का पच्चीस प्रतिशत, कंपनी के विकल्प पर, यदि वह आयकर अधिनियम की धारा 115बीए के तहत निहित शर्तों को पूरा करती है;
- (सी) अन्य सभी मामलों में आयकर की दर कुल आय का तीस प्रतिशत है।

यदि ऐसी घरेलू कंपनी की कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक किन्तु दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, तो गणना किए गए कर में सात प्रतिशत का अधिभार बढ़ता रहेगा। यदि कंपनी की कुल आय दस करोड़ रुपये से अधिक है, तो बारह प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाता रहेगा।

घरेलू कंपनी के अलावा किसी अन्य कंपनी के मामले में, 31.03.1961 के बाद लेकिन 01.04.1976 से पहले किए गए किसी अनुमोदित समझौते के तहत सरकार या किसी भारतीय संस्था से प्राप्त रॉयल्टी से प्राप्त आय पर पचास प्रतिशत कर लगेगा। इसी प्रकार, 29.02.1964 के बाद लेकिन 01.04.1976 से पहले किए गए किसी अनुमोदित समझौते के तहत सरकार या किसी भारतीय संस्था से ऐसी कंपनी द्वारा प्राप्त तकनीकी सेवाओं के शुल्क से प्राप्त आय पर भी पचास प्रतिशत कर लगेगा। ऐसी कंपनी की कुल आय के शेष पर, कर की दर चालीस प्रतिशत होगी।

यदि ऐसी कंपनी की कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक किन्तु दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, तो गणना किए गए कर में दो प्रतिशत का अधिभार बढ़ता रहेगा। यदि ऐसी कंपनी की कुल आय दस करोड़ रुपये से अधिक है, तो पांच प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाता रहेगा।

हालांकि, प्रत्येक कंपनी के मामले में सीमांत राहत की अनुमति दी जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि: (i) एक करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि एक करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से एक करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी, (ii) दस करोड़ रुपये से अधिक की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि दस करोड़ रुपये की कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि से दस करोड़ रुपये से अधिक की आय की राशि से अधिक नहीं होगी।

आयकर पर शिक्षा उपकर और आयकर पर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर, अधिभार सहित संगणित आयकर राशि पर क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर से लगाया जाता रहेगा। शिक्षा उपकर और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।

3.4 अतिरिक्त आयकर पर अधिभार.

जहां आयकर अधिनियम की धारा 115-ओ या धारा 115-क्यूए या धारा 115आर की उपधारा (2) या धारा 115टीए या धारा 115टीडी के अंतर्गत अतिरिक्त आयकर का भुगतान किया जाना है, अर्थात् घरेलू कंपनियों द्वारा लाभांश के वितरण पर या शेयरधारकों से शेयरों की पुनर्खरीद पर किसी कंपनी द्वारा आय के वितरण पर या किसी म्यूचुअल फंड द्वारा अपने यूनिट धारकों को आय के वितरण पर या किसी प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट द्वारा अपने निवेशकों को आय के वितरण पर या कुछ ट्रस्टों और संस्थाओं की संचित आय पर, इस प्रकार देय अतिरिक्त कर में ऐसे आयकर के बारह प्रतिशत का अधिभार जोड़ा जाएगा।

4. म्यूचुअल फंड की एक योजना के भीतर योजनाओं का समेकन।

4.1 वित्त अधिनियम, 2016 के तहत आयकर अधिनियम की धारा 47 में संशोधन किया गया, ताकि म्यूचुअल फंड योजना की समेकित योजना में यूनितों के आवंटन के आधार पर किए गए हस्तांतरण को कर तटस्थता प्रदान की जा सके।

4.2 आयकर अधिनियम की धारा 2 के खंड (42ए) और धारा 49 को संशोधित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि धारा 47(xix) में निर्दिष्ट म्यूचुअल फंड योजना की समेकित योजना में इकाइयों के अधिग्रहण की लागत म्यूचुअल फंड योजना की समेकित योजना में इकाइयों की लागत होगी और म्यूचुअल फंड योजना की समेकित योजना की इकाइयों को धारण करने की अवधि में वह अवधि शामिल होगी जिसके लिए म्यूचुअल फंड योजना की समेकित योजना में इकाइयां करदाता द्वारा धारण की गई थीं।

4.3 **प्रयोज्यता:** ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2017-18 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों से लागू होंगे।

5. अप्रत्यक्ष हस्तांतरण प्रावधानों से संबंधित स्पष्टता।

5.1 आयकर अधिनियम की धारा 9 उन आय के मामलों से संबंधित है जो भारत में अर्जित या उत्पन्न हुई मानी जाती हैं। उक्त धारा की उपधारा (1) एक कानूनी कल्पना का निर्माण करती है कि कुछ आय भारत में अर्जित या उत्पन्न हुई मानी जाएंगी। उक्त उपधारा (1) का खंड (i) उन परिस्थितियों का एक समूह प्रदान करता है जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित या उत्पन्न होने वाली आय भारत में कर योग्य है। उक्त खंड में यह प्रावधान है कि भारत में किसी व्यावसायिक संबंध के माध्यम से या उससे, या भारत में किसी संपत्ति के माध्यम से या उससे, या भारत में किसी परिसंपत्ति या आय के स्रोत के माध्यम से या उससे, या भारत में स्थित किसी पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण के माध्यम से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित या उत्पन्न होने वाली सभी आय भारत में अर्जित या उत्पन्न हुई मानी जाएंगी।

5.2 वित्त अधिनियम, 2012 के तहत धारा 9 के प्रावधानों में कुछ स्पष्टीकरणात्मक संशोधन सम्मिलित किए गए। संशोधनों में अन्य बातों के साथ-साथ 1 अप्रैल, 1962 से धारा 9(1)(i) में स्पष्टीकरण 5 को सम्मिलित करना शामिल था। स्पष्टीकरण 5 में स्पष्ट किया गया कि कोई परिसंपत्ति या पूंजीगत परिसंपत्ति, जो भारत के बाहर पंजीकृत या निगमित किसी कंपनी या संस्था में कोई शेयर या हित है, भारत में स्थित मानी जाएगी, यदि शेयर या हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना मूल्य भारत में स्थित परिसंपत्तियों से प्राप्त करता है।

5.3 अप्रत्यक्ष हस्तांतरण प्रावधानों के दायरे पर स्पष्टीकरण मांगने वाले हितधारकों द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रश्नों के जवाब में, सीबीडीटी ने 2016 का परिपत्र संख्या 41 जारी किया। हालांकि, हितधारकों द्वारा चिंता व्यक्त की गई है कि प्रावधानों के परिणामस्वरूप बहु कराधान होता है।

5.4 इन चिंताओं को दूर करने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 9 में संशोधन किया गया है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि स्पष्टीकरण 5 किसी ऐसी परिसंपत्ति या पूंजीगत परिसंपत्ति पर लागू नहीं होगा, जो किसी अनिवासी द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी विदेशी संस्थागत निवेशक में निवेश के माध्यम से धारा 115एडी के स्पष्टीकरण के खंड (ए) में निर्दिष्ट 1 अप्रैल, 2012 को या उसके बाद प्रारंभ होने वाले लेकिन 1 अप्रैल, 2015 से पहले के आकलन वर्ष के लिए रखी गई हो।

5.5 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2012-13 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों से लागू होगा।

5.6 आयकर अधिनियम की धारा 9 में आगे संशोधन किया गया है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि स्पष्टीकरण 5 किसी ऐसी परिसंपत्ति या पूंजीगत परिसंपत्ति पर लागू नहीं होगा, जो किसी अनिवासी द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2014 के अंतर्गत श्रेणी-I या श्रेणी-II विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निवेश के माध्यम से रखी जाती है, क्योंकि ये संस्थाएं विनियमित और व्यापक आधारित हैं।

5.7 यह संशोधन स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का है।

5.8 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2015-16 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों से लागू होगा।

6. धारा 9ए के अंतर्गत अपतटीय निधियों के लिए विशेष कराधान व्यवस्था की शर्तों में संशोधन।

6.1 आयकर अधिनियम की धारा 9ए अपतटीय निधियों के संबंध में एक विशेष व्यवस्था प्रदान करती है। इसमें प्रावधान है कि किसी पात्र निवेश निधि के मामले में, उस निधि की ओर से कार्यरत किसी पात्र निधि प्रबंधक के माध्यम से की गई निधि प्रबंधन गतिविधि, उक्त निधि का भारत में व्यावसायिक संबंध नहीं मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त, किसी पात्र निवेश निधि को केवल इसलिए भारत का निवासी नहीं कहा जाएगा क्योंकि उसकी ओर से निधि प्रबंधन गतिविधियाँ करने वाला पात्र निधि प्रबंधक भारत में स्थित है। धारा 9ए के अंतर्गत लाभ, धारा की उप-धाराओं (3), (4) और (5) में प्रदत्त शर्तों के अधीन उपलब्ध है।

6.2 धारा 9ए की उप-धारा (3) निधि की पात्रता के लिए शर्तों का प्रावधान करती है। ये शर्तें, अन्य बातों के साथ-साथ, निधि के निवास, कोष, आकार, निवेशक के व्यापक आधार, निवेश विविधीकरण और निधि प्रबंधक को पारिश्रमिक के भुगतान से संबंधित हैं। निधि के कोष के संबंध में, अधिनियम द्वारा संशोधन से पहले, यह प्रावधान था कि निधि के कोष का मासिक औसत एक सौ करोड़ रुपये से कम नहीं होगा, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहाँ निधि पिछले वर्ष में स्थापित या निगमित की गई हो, ऐसी स्थिति में, निधि का कोष ऐसे पिछले वर्ष के अंत में एक सौ करोड़ रुपये से कम नहीं होगा।

6.3 ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें कहा गया है कि जिस वर्ष निधि को बंद किया जा रहा है, उस वर्ष निधि के मासिक औसत को ऐसी राशि तक बनाए रखना संभव नहीं होगा जो आवश्यकतानुसार एक सौ करोड़ रुपये से कम न हो।

6.4 व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने तथा हितधारकों की चिंताओं का समाधान करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 9ए में संशोधन किया गया है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि पिछले वर्ष, जिसमें निधि को समाप्त किया जा रहा है, में यह शर्त लागू नहीं होगी कि निधि की मासिक औसत राशि एक सौ करोड़ रुपये से कम नहीं होगी।

6.5 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों से लागू होगा।

7. FERA के स्थान पर FEMA का सही संदर्भ दिया गया है।

7.1 आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड 4 का उप-खंड (ii) किसी व्यक्ति की किसी भी आय को संदर्भित करता है, जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार भारत में किसी भी बैंक में उसके अनिवासी (बाह्य) खाते में जमा राशि पर ब्याज के रूप में होती है। अधिनियम द्वारा संशोधन से पहले, उक्त उप-खंड के प्रावधान में व्यक्ति को भारत के बाहर निवासी व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया गया था, जैसा कि 1973 के अधिनियम 46, यानी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973, (फेरा) की धारा 2 के खंड (क्यू) में परिभाषित किया गया है,

जिसे 1999 के अधिनियम 42, यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के रूप में निरस्त और पुनः अधिनियमित किया गया है। भारत के बाहर के व्यक्ति की परिभाषा फेमा के खंड (डब्ल्यू) में दी गई है।

7.2 "भारत के बाहर निवासी व्यक्ति" अभिव्यक्ति की सही परिभाषा को प्रतिबिंबित करने के उद्देश्य से , आयकर अधिनियम की धारा 10(4)(ii) के प्रावधान को संशोधित किया गया है।

7.3 यह संशोधन स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का है।

7.4 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगा, तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2013-14 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों से लागू होगा।

8. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से आंशिक निकासी पर कर-छूट।

8.1 आयकर अधिनियम की धारा 10(12ए) के प्रावधानों में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) ट्रस्ट से किसी कर्मचारी को उसके खाते को बंद करने या इससे बाहर निकलने पर किया गया भुगतान, उसे देय कुल राशि के 40% तक कर मुक्त होगा।

8.2 एनपीएस के कर्मचारी अभिदाता को और अधिक राहत प्रदान करने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 10 में खंड (12बी) जोड़ा गया है, ताकि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के तहत निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार कर्मचारी द्वारा किए गए अंशदान के 25% से अधिक आंशिक निकासी पर छूट प्रदान की जा सके।

8.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों से लागू होगा।

9. मुख्यमंत्री राहत कोष या उपराज्यपाल राहत कोष की आय पर छूट।

9.1 आयकर अधिनियम की धारा 10(23सी) कुछ निधियों की आय के संबंध में छूट प्रदान करती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष भी शामिल है।

9.2 आयकर अधिनियम की धारा 80जी की उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (iiihf) में निर्दिष्ट मुख्यमंत्री राहत कोष या उपराज्यपाल राहत कोष, जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के समान ही प्रकृति का है, धारा 10(23सी) के अंतर्गत छूट प्राप्त नहीं है। ऐसी छूट के अभाव में, इन निधियों को उक्त अधिनियम की धारा 11 और 12 के अंतर्गत अपनी आय पर छूट प्राप्त करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 12ए के अंतर्गत पंजीकरण कराना आवश्यक है और कुछ शर्तों को पूरा करना भी आवश्यक है।

9.3 इसलिए, आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23सी) को संशोधित किया गया है ताकि मुख्यमंत्री राहत कोष या उपराज्यपाल राहत कोष को भी छूट का लाभ प्रदान किया जा सके।

9.4 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 1998 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगा, जिस दिन मुख्यमंत्री राहत कोष या उपराज्यपाल राहत कोष में भुगतान की गई किसी भी राशि में कटौती से संबंधित धारा 80 जी की उप-धारा (2) के खंड (ए) के उप-खंड (iihf) लागू हुआ था, और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 1998-99 और बाद के कर निर्धारण वर्षों से लागू होगा।

10. आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए कर प्रोत्साहना

10.1 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 96 के अनुसार, भूमि अधिग्रहण के बदले भूमि मालिक द्वारा प्राप्त निर्दिष्ट मुआवजा आयकर से मुक्त है। लैंड पूलिंग योजना, भूमि अधिग्रहण विवादों से बचने और उस अधिनियम के तहत मुआवजे के भुगतान से जुड़े वित्तीय बोझ को कम करने के लिए अमरावती की नई राजधानी के गठन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई व्यवस्था का एक वैकल्पिक रूप है। लैंड पूलिंग योजना में, पुनर्गठित भूखंड या भूमि के रूप में मुआवजा भूमि मालिकों को प्रदान किया जाता है। हालांकि, अधिनियम में संशोधन से पहले, आयकर अधिनियम में भूमि पूलिंग योजना के तहत भूमि के हस्तांतरण के साथ-साथ भूमि पूलिंग स्वामित्व प्रमाणपत्र (एलपीओसी) या पुनर्गठित भूखंड या भूमि के हस्तांतरण पर कर से छूट प्रदान करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

10.2 किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से, जो 2 जून, 2014 तक ऐसी भूमि का मालिक था, और जिसने आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के तहत अधिसूचित भूमि पूलिंग योजना के तहत ऐसी भूमि को स्थानांतरित कर दिया है, आयकर अधिनियम की धारा 10 में एक नया खंड (37ए) जोड़ा गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि उक्त व्यक्तियों के संबंध में, निम्नलिखित हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ आयकर अधिनियम के तहत कर के दायरे में नहीं आएगा:

- (i) भूमि पूलिंग योजना के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्ति, भूमि या भवन या दोनों का हस्तांतरण।
- (ii) योजना के अंतर्गत हस्तांतरित भूमि के बदले में उक्त व्यक्तियों द्वारा प्राप्त एल.पी.ओ.सी. की बिक्री।

- (iii) उक्त व्यक्तियों द्वारा पुनर्गठित भूखंड या भूमि की बिक्री उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष के भीतर की जाएगी जिसमें ऐसे भूखंड या भूमि का कब्जा उक्त व्यक्तियों को सौंपा गया था।

10.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2015-16 और उसके बाद के वर्षों से लागू होगा।

10.4 इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 49 में भी संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां भूमि पूलिंग योजना के तहत प्राप्त पुनर्गठित भूखंड या भूमि उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष की समाप्ति के बाद हस्तांतरित की जाती है जिसमें ऐसे भूखंड या भूमि का कब्जा उक्त करदाता को सौंपा गया था, ऐसे भूखंड या भूमि के अधिग्रहण की लागत उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद दूसरे वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन पर उसके स्टाम्प शुल्क मूल्य के रूप में मानी जाएगी जिसमें ऐसी परिसंपत्ति का कब्जा करदाता को सौंपा गया था।

10.5 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के वर्षों से लागू होगा।

11. आयकर अधिनियम की धारा 10(38) के अंतर्गत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर से छूट।

11.1 आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (38) में, अधिनियम द्वारा संशोधन से पहले, यह प्रावधान था कि किसी कंपनी के इक्विटी शेयर या इक्विटी उन्मुख निधि की इकाई होने के नाते दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न आय, कर से मुक्त होगी यदि बिक्री का लेनदेन 1 अक्टूबर, 2014 को या उसके बाद किया जाता है और वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय VII के तहत प्रतिभूति लेनदेन कर के लिए प्रभावी है।

11.2 कुछ व्यक्तियों द्वारा फर्जी लेनदेन करके अपनी बेहिसाब आय को छूट प्राप्त दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में घोषित करने के लिए इस छूट के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से, आयकर अधिनियम की धारा 10(38) में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि 1 अक्टूबर, 2004 को या उसके बाद अर्जित इक्विटी शेयर के हस्तांतरण पर उत्पन्न होने वाली आय के लिए इस धारा के तहत छूट केवल तभी उपलब्ध होगी जब शेयर का अधिग्रहण वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय VII के तहत प्रतिभूति लेनदेन कर के लिए प्रभावी हो। हालांकि, वास्तविक मामलों में छूट की रक्षा के लिए, यह भी प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार अधिग्रहण के उन लेनदेन को अधिसूचित करेगी जिनके लिए अधिग्रहण पर प्रतिभूति लेनदेन कर के लिए प्रभाव्यता की शर्त लागू नहीं होगी।

11.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के वर्षों से लागू होगा।

12. समझौते या व्यवस्था की समाप्ति पर रणनीतिक भंडार से कच्चे तेल के बचे हुए स्टॉक की बिक्री से विदेशी कंपनी की आय को छूट।

12.1 आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (48ए) में प्रावधान है कि भारत में किसी सुविधा में कच्चे तेल के भंडारण और उससे भारत में निवासी किसी व्यक्ति को कच्चे तेल की बिक्री से किसी विदेशी कंपनी को होने वाली आय कर मुक्त होगी, बशर्ते कि उक्त भंडारण और बिक्री केंद्र सरकार द्वारा किए गए किसी समझौते या व्यवस्था के अनुसार हो; और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए, उक्त विदेशी कंपनी और उक्त समझौते या व्यवस्था को केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया गया हो। अधिनियम में संशोधन से पहले, उक्त समझौते या व्यवस्था की समाप्ति के बाद कच्चे तेल के बचे हुए स्टॉक की बिक्री पर छूट का लाभ उपलब्ध नहीं था।

12.2 भारत को अपने सामरिक पेट्रोलियम भंडार को बढ़ाने के लिए लाभान्वित करने वाली परियोजना की सामरिक प्रकृति को देखते हुए, आयकर अधिनियम की धारा 10 में एक नया खंड (48बी) जोड़ा गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (48ए) में निर्दिष्ट किसी समझौते या व्यवस्था की समाप्ति के बाद भारत में किसी सुविधा से कच्चे तेल के बचे हुए स्टॉक, यदि कोई हो, की बिक्री के कारण किसी विदेशी कंपनी को होने वाली या प्राप्त होने वाली कोई भी आय भी ऐसी शर्तों के अधीन कर से मुक्त होगी, जो इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकती हैं।

12.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों से लागू होगा।

13. धारा 10ए के प्रावधानों का युक्तिकरण।

13.1 आयकर अधिनियम की धारा 10ए के अंतर्गत, किसी करदाता की कुल आय से, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में संचालित उसकी इकाई से लाभ और प्राप्ति के संबंध में कटौती की अनुमति दी जाती है, बशर्ते कि वह कुछ शर्तों को पूरा करे।

13.2 उक्त धारा करदाता की कुल आय की गणना में कटौती की अनुमति देती है; इसलिए, धारा 10AA के प्रावधानों को प्रभावी करने से पहले, आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार करदाता की कुल आय में से कटौती की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि, न्यायालयों ने (आयकर अधिनियम की धारा 10A से संबंधित मामले पर निर्णय देते समय, जिसमें भी इसी प्रकार का प्रावधान है) यह दृष्टिकोण अपनाया है कि कटौती उपक्रम की कुल आय में से दी जानी चाहिए, न कि करदाता की कुल आय में से।

13.3 उपर्युक्त के मद्देनजर, आयकर अधिनियम की धारा 10ए को संशोधित किया गया है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि उक्त धारा में निर्दिष्ट कटौती की

राशि, उक्त धारा के प्रावधानों को प्रभावी करने से पहले आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई करदाता की कुल आय से अनुमत होगी और उक्त धारा के तहत कटौती किसी भी मामले में उक्त कुल आय से अधिक नहीं होगी।

13.4 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों से लागू होगा।

14. छूट प्राप्त संस्थाओं द्वारा अन्य छूट प्राप्त संस्थाओं को कोष दान के मामले में छूट पर प्रतिबंध

14.1 आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23सी) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (via) में निर्दिष्ट धारा 12ए के तहत पंजीकृत किसी अन्य ट्रस्ट या संस्था को या किसी फंड या संस्था या ट्रस्ट या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान को ट्रस्ट द्वारा किए गए दान, संचित आय से किए गए दान को छोड़कर, इसके उद्देश्यों के लिए आय के आवेदन के रूप में माना जाता है।

14.2 इसी प्रकार, धारा 10 के खंड (23सी) के उप-खंड (iv) या उप-खंड (v) या उप-खंड (vi) या उप-खंड (via) के अंतर्गत छूट प्राप्त संस्थाओं द्वारा धारा 12ए के अंतर्गत पंजीकृत किसी ट्रस्ट या संस्था को किए गए दान, संचित आय से किए गए दान को छोड़कर, को भी उसके उद्देश्यों के लिए आय के अनुप्रयोग के रूप में माना जाता है।

14.3 हालाँकि, इन छूट प्राप्त संस्थाओं द्वारा किसी अन्य छूट प्राप्त संस्था को दिया गया दान, इस विशिष्ट निर्देश के साथ कि यह निधि का हिस्सा बनेगा, दाता ट्रस्ट के हाथों में आय का उपयोग माना गया, लेकिन प्राप्तकर्ता ट्रस्ट की आय नहीं मानी गई। इस प्रकार, ट्रस्ट बिना किसी वास्तविक आवेदन के निधि दान देने में लगे रहे।

14.4 इसलिए, आयकर अधिनियम की धारा 11 में एक नया स्पष्टीकरण जोड़ा गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट आय में से जमा या भुगतान की गई कोई भी राशि, जो विशिष्ट निर्देश के साथ योगदान है कि वे ट्रस्ट या संस्था के कोष का हिस्सा बनेंगे, को आय के आवेदन के रूप में नहीं माना जाएगा।

14.5 आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23सी) में एक प्रावधान भी जोड़ा गया है, ताकि उक्त खंड के उपखंड (iv), (v), (vi) या (via) के अंतर्गत छूट प्राप्त संस्थाओं पर उनकी आय में से जमा या भुगतान की गई किसी भी राशि के संबंध में उपरोक्त के समान प्रतिबंध प्रदान किया जा सके।

14.6 प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों से लागू होंगे।

15. धारा 11 और 12 के तहत छूट प्राप्त संस्थाओं के मामले में उद्देश्य में परिवर्तन या संशोधन और आयकर रिटर्न दाखिल करने के संबंध में प्रक्रिया की स्पष्टता।

15.1 आयकर अधिनियम की धारा 12ए के प्रावधान किसी ट्रस्ट या संस्था की आय के संबंध में छूट के लाभ के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 11 और 12 की प्रयोज्यता के लिए शर्तें प्रदान करते हैं।

15.2 इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 12AA के प्रावधान ट्रस्ट या संस्था के पंजीकरण का प्रावधान करते हैं जो उन्हें धारा 11 और 12 के लाभों का हकदार बनाता है। धारा 12AA उन परिस्थितियों का भी प्रावधान करती है जिनके तहत पंजीकरण रद्द किया जा सकता है, ऐसी ही एक परिस्थिति प्रधान आयुक्त या आयुक्त की इस बात की संतुष्टि है कि पंजीकरण प्रदान किए जाने के बाद उनकी गतिविधियाँ वास्तविक नहीं हैं या उनके उद्देश्यों के अनुसार नहीं की जा रही हैं। हालाँकि, अधिनियम में संशोधन से पहले, आयकर अधिनियम में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था जो उक्त ट्रस्ट या संस्था को पंजीकरण प्रदान किए जाने के बाद उद्देश्यों को अपनाने या उनमें संशोधन करने की स्थिति में नए पंजीकरण के लिए संपर्क करने का आदेश देता हो।

15.3 इसलिए, आयकर अधिनियम की धारा 12ए में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहाँ किसी ट्रस्ट या संस्था को धारा 12ए के अंतर्गत पंजीकरण प्रदान किया गया है या उसने किसी भी समय धारा 12ए के अंतर्गत पंजीकरण प्राप्त किया है [जैसा कि वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1996 द्वारा संशोधन से पहले था] और, तत्पश्चात, उसने ऐसे उद्देश्यों को अपनाया है या उनमें संशोधन किए हैं जो पंजीकरण की शर्तों के अनुरूप नहीं हैं, तो उसे उद्देश्यों को अपनाने या उनमें संशोधन करने की तिथि से तीस दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र और तरीके से आवेदन करके नया पंजीकरण प्राप्त करना होगा। आयकर अधिनियम की धारा 12ए में परिणामी संशोधन भी किए गए हैं।

15.4 इसके अतिरिक्त, उक्त धारा के प्रावधानों के अनुसार, धारा 12AA के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं को आयकर अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (4A) के अंतर्गत आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है, यदि धारा 11 और 12 के प्रावधानों को लागू किए बिना कुल आय आयकर के लिए देय अधिकतम राशि से अधिक हो। हालाँकि, इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी कि उक्त आयकर रिटर्न धारा 139 के तहत निर्धारित समय के भीतर दाखिल किया जाना था या नहीं।

15.5 इस संबंध में स्पष्टता प्रदान करने के लिए, आयकर की धारा 12ए में एक और संशोधन किया गया है ताकि एक अतिरिक्त शर्त प्रदान की जा सके कि आयकर योग्य आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति आयकर अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमत समय के भीतर आयकर रिटर्न प्रस्तुत करेगा।

15.6 ये संशोधन स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति के हैं।

15.7 प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों से लागू होंगे।

16. चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता।

16.1 आयकर अधिनियम की धारा 13ए के प्रावधानों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दलों को आयकर से छूट प्राप्त है। इस छूट का लाभ उठाने के लिए, राजनीतिक दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29सी की उप-धारा (3) के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें किसी व्यक्ति से 20,000 रुपये से अधिक के राजनीतिक दल द्वारा प्राप्त अंशदान का विवरण प्रस्तुत करना होता है। हालाँकि, अधिनियम में संशोधन से पहले, किसी भी राजनीतिक दल द्वारा नकद में दान की कोई भी राशि प्राप्त करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था।

16.2 दूसरे, किसी राजनीतिक दल को आयकर अधिनियम की धारा 139(4बी) के अंतर्गत अपनी आयकर विवरणी दाखिल करनी आवश्यक है, यदि उसकी आय कर-अयोग्य अधिकतम राशि से अधिक हो (आयकर अधिनियम की धारा 13ए के अंतर्गत छूट को ध्यान में रखे बिना)। हालाँकि, अधिनियम में संशोधन से पहले, उक्त धारा के अंतर्गत छूट प्राप्त करने के लिए विवरणी दाखिल करना कोई पूर्व शर्त नहीं थी।

16.3 नकद लेनदेन को हतोत्साहित करने तथा राजनीतिक दलों को मिलने वाले वित्तपोषण के स्रोत में पारदर्शिता लाने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 13ए में संशोधन किया गया है ताकि उक्त धारा का लाभ उठाने के लिए अतिरिक्त शर्तें उपलब्ध कराई जा सकें, जो निम्नानुसार हैं:

- (i) 2000/- रुपये या उससे अधिक का कोई भी दान बैंक खाते में आहरित चेक या खाताधारक बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के उपयोग या चुनावी बांड के अलावा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त नहीं किया जाएगा।
- (ii) राजनीतिक दल आयकर अधिनियम की धारा 139 के तहत नियत तारीख को या उससे पहले धारा 139 की उप-धारा (4 बी) के प्रावधानों के अनुसार पिछले वर्ष के लिए आय का रिटर्न प्रस्तुत करता है।

16.4 इसके अलावा, दानदाताओं की गुमनामी की चिंता को दूर करने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 13ए को अधिनियम द्वारा और संशोधित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि राजनीतिक दलों को चुनावी बांड के माध्यम से योगदान देने वाले दानदाताओं का नाम और पता देने की आवश्यकता नहीं होगी।

16.5 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों से लागू होगा।

17. स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में रखी गई गृह संपत्ति के लिए कोई काल्पनिक आय नहीं।

17.1 आयकर अधिनियम की धारा 23 में गृह संपत्ति के वार्षिक मूल्य के निर्धारण की विधि का प्रावधान है।

17.2 रियल एस्टेट डेवलपर्स के मामले में व्यावसायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उक्त धारा में संशोधन किया गया है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां किसी भवन और उससे संबद्ध भूमि से बनी गृह संपत्ति को स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में रखा गया है और संपत्ति या संपत्ति का कोई भाग पिछले वर्ष के पूरे या उसके किसी भाग के दौरान किराए पर नहीं दिया गया है, ऐसी संपत्ति या संपत्ति के भाग का वार्षिक मूल्य, उस वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष तक की अवधि के लिए, जिसमें संपत्ति के निर्माण के पूरा होने का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया गया है, शून्य माना जाएगा।

17.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के वर्षों से लागू होगा।

18. खराब एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के संबंध में कटौती सीमा में वृद्धि।

18.1 आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viiia) का उप-खंड (a) अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्दिष्ट करता है कि कोई अनुसूचित बैंक (भारत से बाहर किसी देश के कानूनों द्वारा या उसके अधीन निगमित बैंक न हो) या कोई गैर-अनुसूचित बैंक या प्राथमिक कृषि ऋण समिति या प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को छोड़कर कोई सहकारी बैंक, डूबत और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के संबंध में कटौती का दावा कर सकता है। अधिनियम में संशोधन से पहले, ऐसी कटौती की राशि कुल आय (आयकर अधिनियम के उस खंड और अध्याय VIA के अंतर्गत कोई कटौती करने से पहले गणना की गई) के साढ़े सात प्रतिशत तक सीमित थी और यह राशि पिछले वर्ष के अंत में निर्धारित तरीके से गणना की गई ऐसे बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए कुल औसत अग्रिमों के दस प्रतिशत से अधिक नहीं थी।

18.2 आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viiia) के उप-खंड (a) में निर्दिष्ट संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए, उक्त खंड को संशोधित किया गया है ताकि वर्तमान सीमा को कुल आय की राशि के साढ़े सात प्रतिशत से बढ़ाकर साढ़े आठ प्रतिशत किया जा सके (आयकर अधिनियम के उस खंड और अध्याय VIA के तहत कोई कटौती करने से पहले गणना की गई)।

18.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों से लागू होगा।

19. नकद लेनदेन को हतोत्साहित करने के उपाय।

19.1 आयकर अधिनियम की धारा 40ए की उप-धारा (3), अधिनियम द्वारा संशोधन से पहले, यह निर्दिष्ट करती थी कि किसी व्यक्ति को एक दिन में किए गए भुगतान या भुगतानों का योग, बैंक खाते में आदाता चेक या आदाता बैंक ड्राफ्ट के अलावा, बीस हजार रुपये से अधिक होने पर कोई भी व्यय कटौती के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 40ए की उप-धारा (3ए) में यह भी प्रावधान था कि यदि व्यय किसी विशेष वर्ष में किया गया हो, लेकिन भुगतान किसी भी बाद के वर्ष में बैंक खाते में आदाता चेक या आदाता बैंक ड्राफ्ट के अलावा बीस हजार रुपये से अधिक की राशि का किया गया हो, तो उसे व्यवसाय या पेशे के लाभ और प्राप्ति के रूप में माना जाएगा।

19.2 नकद लेनदेन को हतोत्साहित करने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 40ए में संशोधन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

- (i) एक व्यक्ति को एक दिन में नकद भुगतान की सीमा को बीस हजार रुपये से घटाकर दस हजार रुपये करना; अर्थात् एक दिन में किसी व्यक्ति को दस हजार रुपये से अधिक नकद भुगतान को "व्यापार या पेशे के लाभ और प्राप्ति" से आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी;
- (ii) किसी भुगतान को व्यवसाय या पेशे के लाभ और प्राप्ति के रूप में मानना, यदि व्यय किसी विशेष वर्ष में किया गया हो, किन्तु नकद भुगतान किसी व्यक्ति को एक ही दिन में दस हजार रुपये से अधिक की राशि का किसी बाद के वर्ष में किया गया हो; और
- (iii) आयकर अधिनियम की धारा 40ए की संबंधित उपधारा के अंतर्गत भुगतान के निर्दिष्ट तरीके का विस्तार बैंक खाते में आहरित चेक या बैंक ड्राफ्ट से करके बैंक खाते में आहरित चेक या बैंक ड्राफ्ट से करके या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके किया जाना।

19.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों से लागू होगा।

20. नकद भुगतान पर धारा 32 के तहत मूल्यहास और धारा 35एडी के तहत पूंजीगत व्यय की अस्वीकृति।

20.1 आयकर अधिनियम की धारा 40ए की उप-धारा (3) में प्रावधान है कि एक निश्चित मौद्रिक सीमा से अधिक नकद में किया गया राजस्व व्यय, आयकर नियम, 1962 के नियम 6डीडी के अंतर्गत निर्दिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर, स्वीकार्य नहीं है। हालाँकि, नकद में किए गए पूंजीगत व्यय को अस्वीकार करने का कोई प्रावधान नहीं था। इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 35एडी, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी भूमि या सद्भावना या वित्तीय साधन के अधिग्रहण के लिए किए गए पूंजीगत व्यय को छोड़कर, किसी निर्दिष्ट व्यवसाय के लिए पिछले वर्ष के दौरान, पूर्णतः या अनन्य रूप से, व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए किए गए पूंजीगत व्यय की राशि पर निवेश-संबद्ध कटौती का प्रावधान करती है।

20.2 पूंजीगत व्यय के लिए भी नकद लेनदेन को हतोत्साहित करने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 43 में संशोधन किया गया है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां कोई करदाता किसी परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए कोई व्यय करता है, जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को एक दिन में किया गया भुगतान या भुगतानों का कुल योग, बैंक पर आहरित खाता आदाता चेक या खाता आदाता बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के उपयोग के अलावा, दस हजार रुपये से अधिक है, ऐसे व्यय को ऐसी परिसंपत्ति की वास्तविक लागत के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

20.3 आयकर अधिनियम की धारा 35एडी में भी संशोधन किया गया है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि किसी व्यक्ति को एक दिन में किए गए भुगतान या भुगतानों के योग के संबंध में कोई व्यय, बैंक पर आहरित खाता आदाता चेक या खाता आदाता बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के उपयोग के अलावा, दस हजार रुपये से अधिक है, तो ऐसे व्यय के संबंध में कोई कटौती नहीं दी जाएगी।

20.4 प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों से लागू होंगे।

21. धारा 43डी का दायरा सहकारी बैंकों तक बढ़ाया जाना।

21.1 आयकर अधिनियम की धारा 43डी अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्दिष्ट करती है कि कुछ संस्थाओं, बैंकों, निगमों या कंपनियों द्वारा कुछ श्रेणियों के डूबत या संदिग्ध ऋणों के संबंध में प्राप्त ब्याज आय उस पिछले वर्ष में कर योग्य होगी जिसमें वह उस वर्ष के उनके लाभ-हानि खाते में जमा की गई हो या वास्तव में प्राप्त हुई हो, जो भी पहले हो। यह प्रावधान लेखांकन की प्रोद्भव प्रणाली का एक अपवाद है जिसका पालन ऐसे करदाताओं द्वारा कुल आय की गणना के लिए नियमित रूप से किया जाता है।

21.2 अधिनियम द्वारा संशोधन से पहले, इस प्रावधान का लाभ अनुसूचित बैंकों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं, राज्य वित्तीय निगमों, राज्य औद्योगिक निवेश

निगमों और आवास वित्त कंपनियों जैसी कुछ सार्वजनिक कंपनियों को उपलब्ध था। सहकारी बैंकों को अनुसूचित बैंकों के समान समान अवसर प्रदान करने और धारा 43डी के दायरे को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से, उक्त धारा में संशोधन किया गया है ताकि प्राथमिक कृषि ऋण समिति या प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अलावा अन्य सहकारी बैंकों को भी इसके दायरे में शामिल किया जा सके।

21.3 परिणामस्वरूप, कराधान में मिलान सिद्धांत के अनुसार, यदि अशोध्य या संदिग्ध ऋणों पर ब्याज आय प्राप्ति के आधार पर कर योग्य है, तो ऐसे अशोध्य या संदिग्ध ऋणों पर देय ब्याज वास्तविक भुगतान पर देय होना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए, आयकर अधिनियम की धारा 43बी में भी संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि प्राथमिक कृषि ऋण समिति या प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अलावा किसी सहकारी बैंक से लिए गए किसी ऋण या अग्रिम पर करदाता द्वारा ब्याज के रूप में देय किसी भी राशि को कटौती के रूप में देय होगा, यदि उसका भुगतान संबंधित पिछले वर्ष की आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि को या उससे पहले किया जाता है।

21.4 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों से लागू होगा।

22. व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में खाता बही के रखरखाव के लिए प्रारंभिक सीमा में वृद्धि।

22.1 अधिनियम द्वारा संशोधन से पहले, आयकर अधिनियम की धारा 44ए की उपधारा (2) के खंड (i) और खंड (ii) के प्रावधानों ने व्यवसाय या पेशे को चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर [उपधारा (1) में उल्लिखित के अलावा जैसे कानूनी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग या वास्तुकला पेशे या लेखा या तकनीकी परामर्श या आंतरिक सजावट या किसी अन्य पेशे के पेशे को बोर्ड द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया है] पिछले वर्ष में खातों और दस्तावेजों की ऐसी पुस्तकों को बनाए रखने के लिए दायित्व डाला ताकि मूल्यांकन अधिकारी आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसकी कुल आय की गणना कर सके, बशर्ते कि उक्त खंडों में निर्दिष्ट आय और कुल बिक्री या टर्नओवर या सकल प्राप्तियां आदि क्रमशः एक लाख बीस हजार रुपये और दस लाख रुपये से अधिक हों।

22.2 अनुपालन भार को कम करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 44ए में संशोधन किया गया है, ताकि खाता बही के रखरखाव के लिए उक्त खंडों में निर्दिष्ट आय और कुल बिक्री या कारोबार या सकल प्राप्तियां आदि की मौद्रिक सीमा को एक लाख बीस हजार रुपये से बढ़ाकर दो लाख पचास हजार रुपये और व्यवसाय या पेशे से जुड़े व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में क्रमशः दस लाख रुपये से पच्चीस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सके।

22.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों से लागू होगा।

23. धारा 44एबी के तहत खातों की लेखापरीक्षा की आवश्यकता से कुछ निर्दिष्ट व्यक्तियों का बहिष्कार।

23.1 आयकर अधिनियम की धारा 44एबी के प्रावधानों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि व्यवसाय करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने खातों का ऑडिट करवाना आवश्यक है यदि पिछले वर्ष में कुल बिक्री, कारोबार या सकल प्राप्तियां एक करोड़ रुपये से अधिक हैं। आयकर अधिनियम की धारा 44एडी के तहत पात्र व्यक्ति द्वारा किए गए पात्र व्यवसाय के मामले में प्रकल्पित कराधान की प्रयोज्यता की सीमा को वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा आकलन वर्ष 2017-18 के लिए 1 अप्रैल, 2017 से एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये कर दिया गया था। इसके अलावा 20 जून, 2016 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह स्पष्ट किया गया था कि यदि कोई पात्र व्यक्ति आयकर अधिनियम की धारा 44एडी(1) के अनुसार प्रकल्पित कराधान योजना का विकल्प चुनता है, तो उसे अपने खातों का ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं होगी यदि संबंधित पिछले वर्ष का कुल कारोबार या सकल प्राप्तियां दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं हैं।

23.2 उपर्युक्त विधायी परिवर्तनों के आलोक में तथा छोटे करदाताओं के अनुपालन बोझ को कम करने और व्यापार को आसान बनाने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 44एबी में संशोधन किया गया है ताकि ऐसे पात्र व्यक्ति को, जो आयकर अधिनियम की धारा 44एडी की उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार पिछले वर्ष के लिए लाभ घोषित करता है और उसके व्यापार में कुल बिक्री, कुल कारोबार या सकल प्राप्तियां, जैसा भी मामला हो, ऐसे पिछले वर्ष में दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, आयकर अधिनियम की धारा 44एबी के तहत लेखा पुस्तकों की लेखा परीक्षा की आवश्यकता से बाहर रखा जा सके।

23.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2017-18 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों से लागू होगा।

24. छोटे असंगठित व्यवसायों के मामले में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उपाय।

24.1 आयकर अधिनियम की धारा 44एडी के प्रावधानों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पात्र व्यवसाय करने वाले पात्र करदाताओं के मामले में एक प्रकल्पित आय योजना का प्रावधान है। अधिनियम द्वारा संशोधन से पहले, इस योजना के तहत, यदि कोई पात्र करदाता पात्र व्यवसाय में लगा हुआ है और उसका कुल कारोबार या सकल प्राप्तियां पिछले वर्ष में दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं हैं, तो कुल कारोबार या सकल प्राप्तियों के आठ प्रतिशत के बराबर राशि, या, जैसा भी मामला हो, करदाता द्वारा अपनी आयकर विवरणी में घोषित उपरोक्त राशि से अधिक राशि, ऐसे व्यवसाय के लाभ और प्राप्ति मानी जाती थी, जिस पर "व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति" शीर्षक के अंतर्गत कर लगाया जा सकता था।

24.2 डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और छोटे असंगठित व्यवसायों को डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, आयकर अधिनियम की

धारा 44AD में संशोधन किया गया है ताकि पिछले वर्ष के दौरान या उस पिछले वर्ष के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट नियत तिथि से पहले बैंक खाते के माध्यम से खाताधारक चेक या खाताधारक बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के उपयोग द्वारा प्राप्त कुल कारोबार या सकल प्राप्तियों की राशि के संबंध में मानी गई कुल आय की दर को आठ प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत कर दिया जाए। हालाँकि, आयकर अधिनियम की धारा 44AD में निर्दिष्ट 8% की मानी गई लाभ की दर किसी अन्य माध्यम से प्राप्त कुल कारोबार या सकल प्राप्तियों के संबंध में लागू होती रहेगी।

24.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2017-18 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों से लागू होगा।

25. संयुक्त विकास समझौते के मामले में पूंजीगत लाभ की गणना के लिए विशेष प्रावधान।

25.1 आयकर अधिनियम की धारा 45 के प्रावधानों के तहत, कुछ मामलों को छोड़कर, पूंजीगत लाभ उस वर्ष कर योग्य होता है जिसमें हस्तांतरण होता है। 'हस्तांतरण' की परिभाषा में अन्य बातों के साथ-साथ कोई भी व्यवस्था या लेन-देन शामिल है जहाँ अनुबंध के आंशिक निष्पादन के निष्पादन में कोई अधिकार हस्तांतरित किया जाता है, भले ही कानूनी स्वामित्व हस्तांतरित न हुआ हो। ऐसी स्थिति में, अचल संपत्ति के स्वामी और डेवलपर के बीच संयुक्त विकास समझौते के निष्पादन से, उस वर्ष में मालिक पर पूंजीगत लाभ कर की देयता शुरू हो जाती है जिसमें किसी परियोजना के विकास के लिए अचल संपत्ति का कब्जा डेवलपर को हस्तांतरित किया जाता है।

25.2 भूमि के स्वामी को हस्तांतरण के वर्ष में पूंजीगत लाभ कर का भुगतान करने में होने वाली वास्तविक कठिनाई को न्यूनतम करने के उद्देश्य से, आयकर अधिनियम की धारा 45 में एक नई उप-धारा (5ए) जोड़ी गई है, जो यह प्रावधान करती है कि यदि कोई करदाता, जो एक व्यक्ति या हिंदू अवभाजित परिवार है, किसी परियोजना के विकास के लिए निर्दिष्ट समझौता करता है, तो पूंजीगत लाभ उस पिछले वर्ष की आय के रूप में आयकर के लिए प्रभावी होगा, जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना के संपूर्ण या आंशिक समापन का प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

25.3 यह भी प्रावधान किया गया है कि उक्त पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि पर परियोजना में उसके हिस्से, जो भूमि या भवन या दोनों है, का स्टाम्प शुल्क मूल्य, यदि कोई प्राप्त मौद्रिक प्रतिफल है, तो उससे बढ़ा हुआ, पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उपार्जित प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा।

25.4 यह भी प्रावधान किया गया है कि इस व्यवस्था का लाभ उस करदाता पर लागू नहीं होगा जो उक्त पूर्णता प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि को या उससे पहले परियोजना में अपना हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करता है। यह भी प्रावधान किया गया है कि ऐसी स्थिति में, आयकर अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत निर्धारित पूंजीगत लाभ उस पिछले वर्ष की आय मानी जाएगी जिसमें ऐसा हस्तांतरण हुआ था और इसकी गणना आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी, इन प्रावधानों को ध्यान में रखे बिना।

25.5 आयकर अधिनियम की धारा 49 में परिणामी संशोधन भी किया गया है, जिससे यह प्रावधान किया गया है कि परियोजना में भूमि या भवन या दोनों के हिस्से के अधिग्रहण की लागत, भूमि मालिक के हाथों में वह राशि होगी जिसे आयकर अधिनियम की धारा 45(5ए) के तहत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा।

25.6 प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के वर्षों से लागू होंगे।

25.7 आयकर अधिनियम में एक नई धारा 194-आईसी भी जोड़ी गई है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि यदि निर्दिष्ट समझौते के तहत कोई मौद्रिक प्रतिफल देय है, तो ऐसे भुगतान से दस प्रतिशत की दर से कर की कटौती की जाएगी।

25.8 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा।

26. अधिमाम्य शेयरों का इक्विटी शेयरों में कर-तटस्थ रूपांतरण।

26.1 आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत, किसी प्रतिभूति को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना, पूंजीगत लाभ कर लगाने के उद्देश्य से हस्तांतरण माना जाता है। हालाँकि, किसी कंपनी के बॉन्ड या डिबेंचर को उसी कंपनी के शेयर या डिबेंचर में परिवर्तित करने पर आयकर अधिनियम की धारा 47 के तहत कर तटस्थता का प्रावधान है। अधिनियम में संशोधन से पहले, किसी कंपनी के अधिमाम्य शेयर को उसके इक्विटी शेयर में परिवर्तित करने पर समान कर तटस्थता का प्रावधान नहीं था।

26.2 किसी कंपनी के अधिमाम्य शेयर को उसी कंपनी के इक्विटी शेयर में रूपान्तरित करने के लिए कर तटस्थता प्रदान करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 47 में संशोधन किया गया है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि किसी कंपनी के अधिमाम्य शेयर को उसके इक्विटी शेयर में रूपान्तरित करना हस्तांतरण नहीं माना जाएगा।

26.3 परिणामस्वरूप, अधिग्रहण की लागत और धारण की अवधि के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 49 और धारा 2(42ए) में भी संशोधन किया गया है।

26.4 प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के वर्षों से लागू होंगे।

27. रुपया मूल्यवर्गित बांडों पर पूंजीगत लाभ छूट का विस्तार।

27.1 अनिवासी निवेशकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा भारतीय कॉरपोरेट्स को भारत के बाहर रुपये में मूल्यवर्गित बांड जारी करने की अनुमति के मद्देनजर, भारतीय कॉरपोरेट्स को भारत के बाहर के स्रोत से धन जुटाने में सक्षम बनाने के उपाय के रूप में, वित्त अधिनियम, 2016, अन्य बातों के साथ, 1 अप्रैल, 2017 से आयकर अधिनियम की धारा 48 में संशोधन किया गया ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि किसी भारतीय कंपनी द्वारा सब्सक्राइब किए गए रुपये में मूल्यवर्गित बांड के मोचन के समय विदेशी मुद्रा के मुकाबले रुपये के अधिमूल्यन के कारण उत्पन्न होने वाले लाभ को प्रतिफल के पूर्ण मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए अनदेखा किया जाएगा।

27.2 द्वितीयक धारकों को होने वाले पूंजीगत लाभ से छूट देने के लिए भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए। विदेशी बाजार में ऐसे लिखतों की स्वीकार्यता और हस्तांतरणीयता बढ़ाने के उद्देश्य से, अनिवासी से अनिवासी को रुपया मूल्यवर्गित बांडों के हस्तांतरण के संबंध में छूट देने के लिए भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए।

27.3 किसी भारतीय कंपनी के रुपया मूल्यवर्गित बांड के मोचन के समय विदेशी मुद्रा के मुकाबले रुपये के मूल्यवृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाले लाभों के संबंध में द्वितीयक धारकों को भी राहत प्रदान करने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 48 में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि प्रतिफल के पूर्ण मूल्य की गणना के प्रयोजनों के लिए रुपये के उक्त मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

27.4 इसके अलावा, अनिवासी से अनिवासी को रुपया मूल्यवर्गित बांड के हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, आयकर अधिनियम की धारा 47 में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि पूंजीगत परिसंपत्ति, जो भारत के बाहर जारी भारतीय कंपनी के रुपया मूल्यवर्गित बांड है, का किसी अनिवासी द्वारा किसी अन्य अनिवासी को हस्तांतरण को हस्तांतरण नहीं माना जाएगा।

27.5 प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के वर्षों से लागू होंगे।

28. धारा 115टीडी के तहत अर्जित आय पर कर लगाने के मामले में संस्थाओं की पूंजीगत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की लागत।

28.1 आयकर अधिनियम की धारा 49 के प्रावधानों में पूंजीगत परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कुछ तरीकों के संदर्भ में लागत की गणना का प्रावधान है।

28.2 उक्त धारा में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां पूंजीगत लाभ किसी परिसंपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होता है, जो किसी ट्रस्ट या संस्था द्वारा धारित परिसंपत्ति है जिसके संबंध में उपार्जित आय की गणना की गई है, और अध्याय XII-EB के प्रावधानों के अनुसार उस पर कर का भुगतान किया गया है, ऐसी परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत को परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य माना जाएगा जिसे आयकर अधिनियम की धारा 115TD की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट तिथि पर उपार्जित आय की गणना के लिए ध्यान में रखा गया है।

28.3 यह संशोधन प्रकृति में परिणामी है।

28.4 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 जून, 2016 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों से लागू होगा।

29. किसी विदेशी कंपनी के कर-तटस्थ विभाजन में अधिग्रहण की लागत।

29.1 आयकर अधिनियम की धारा 47(vic) में प्रावधान है कि किसी विलीन विदेशी कंपनी द्वारा किसी भारतीय कंपनी के शेयरों का परिणामी विदेशी कंपनी को हस्तांतरण, हस्तांतरण नहीं माना जाएगा।

29.2 आयकर अधिनियम की धारा 49 में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि धारा 47(vi) में निर्दिष्ट भारतीय कंपनी के शेयरों के अधिग्रहण की लागत परिणामी विदेशी कंपनी के हाथों में वही होगी जो यह अलग हुई विदेशी कंपनी के हाथों में थी।

29.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के वर्षों से लागू होगा।

30. कुछ मामलों में उचित बाजार मूल्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य होगा।

30.1 आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, "पूंजीगत लाभ" शीर्षक के अंतर्गत देय आय की गणना पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर प्राप्त या उपार्जित प्रतिफल के पूर्ण मूल्य की राशि को ध्यान में रखकर की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिफल का पूर्ण मूल्य कम न आंका जाए, आयकर अधिनियम में कुछ मामलों में प्रतिफल के पूर्ण मूल्य को मानने के प्रावधान भी हैं, जैसे कि कुछ मामलों में अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए स्टॉप शुल्क मूल्य को प्रतिफल का पूर्ण मूल्य मानना।

30.2 "पूंजीगत लाभ" शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य को मानने से संबंधित प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने के लिए, आयकर अधिनियम में एक नई धारा 50सीए जोड़ी गई है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां किसी कंपनी के शेयर (उद्धृत शेयर के अलावा) के हस्तांतरण के लिए प्रतिफल निर्धारित तरीके के अनुसार निर्धारित ऐसे शेयर के उचित बाजार मूल्य (एफएमवी) से कम है, वहां एफएमवी को "पूंजीगत लाभ" शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना के प्रयोजनों के लिए प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा।

30.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों से लागू

होगा।

31. 54ईसी के अंतर्गत दीर्घकालिक बांडों के दायरे का विस्तार करना।

31.1 आयकर अधिनियम की धारा 54ईसी के अनुसार, किसी दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले 50 लाख रुपये तक के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्राप्त होगी, बशर्ते करदाता निर्धारित समय के भीतर पूंजीगत लाभ का पूरा या उसका कोई अंश कुछ निर्दिष्ट बॉन्ड में निवेश करे। अधिनियम में संशोधन से पहले, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी बॉन्ड में निवेश इस धारा के अंतर्गत छूट के लिए पात्र थे।

31.2 आयकर अधिनियम की धारा 54ईसी के तहत छूट के लिए पात्र बांड जारी करके निधि जुटाने वाले क्षेत्रों के लिए धारा के दायरे को व्यापक बनाने के लिए, उक्त धारा को संशोधित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि तीन साल के बाद मोचन योग्य किसी भी बांड में निवेश, जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया गया है, भी छूट के लिए पात्र होगा।

31.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के वर्षों से लागू होगा।

32. पूंजीगत लाभ की गणना के लिए आधार वर्ष 1981 से 2001 किया जाना।

32.1 अधिनियम में संशोधन से पहले, आयकर अधिनियम की धारा 55 के प्रावधानों में यह प्रावधान था कि पूंजीगत लाभ की गणना के लिए, करदाता को परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत और सुधार की लागत, यदि कोई हो, के लिए कटौती की अनुमति होगी। हालाँकि, 01.04.1981 से पहले अर्जित परिसंपत्ति के संबंध में पूंजीगत लाभ की गणना के लिए, करदाता को 01.04.1981 को परिसंपत्ति के उचित बाजार मूल्य या परिसंपत्ति की वास्तविक लागत को अधिग्रहण की लागत के रूप में लेने का विकल्प दिया गया था। करदाता को 01.04.1981 के बाद किए गए सुधार की लागत, यदि कोई हो, के लिए भी कटौती का दावा करने की अनुमति थी।

32.2 पूंजीगत परिसंपत्ति, विशेष रूप से 01.04.1981 से पहले अर्जित अचल संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में पूंजीगत लाभ की गणना करने में वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने के लिए, 01.04.1981 की स्थिति के अनुसार ऐसी परिसंपत्ति के उचित बाजार मूल्य की गणना के लिए प्रासंगिक जानकारी की अनुपलब्धता के कारण, आयकर अधिनियम की धारा 55 में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि 01.04.2001 से पहले अर्जित परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत को 1 अप्रैल, 2001 की स्थिति के अनुसार उचित बाजार मूल्य के रूप में लिया जा सकेगा और सुधार की लागत में केवल वे पूंजीगत व्यय शामिल होंगे जो 01.04.2001 के बाद किए गए हैं।

32.3 परिणामस्वरूप, आयकर अधिनियम की धारा 48 को भी संशोधित किया गया है ताकि लागत मुद्रास्फीति सूचकांक से संबंधित प्रावधान को संशोधित आधार वर्ष के अनुरूप बनाया जा सके।

32.4 प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के वर्षों से लागू होंगे।

33. अन्य स्रोतों से आय का दायरा बढ़ाना।

33.1 आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(vii) के प्रावधानों में यह प्रावधान है कि कोई धनराशि या कोई संपत्ति जो किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा बिना किसी प्रतिफल या अपर्याप्त प्रतिफल (50,000 रुपये की निर्दिष्ट सीमा से अधिक) के लिए प्राप्त की जाती है, वह कुछ अपवादों के अधीन "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षक के अंतर्गत निवासी के हाथों में आयकर के लिए प्रभावी होगी।

33.2 इसके अतिरिक्त, किसी फर्म या कंपनी द्वारा कुछ शेयरों की प्राप्ति, जिसमें जनता की पर्याप्त रुचि नहीं है, भी आयकर के लिए उत्तरदायी होगी, यदि ऐसी प्राप्ति 50,000 रुपये से अधिक हो और बिना प्रतिफल या अपर्याप्त प्रतिफल के लिए प्राप्त की गई हो।

33.3 इस धारा के प्रयोजन के लिए संपत्ति की परिभाषा में अचल संपत्ति, आभूषण, शेयर, पेंटिंग आदि शामिल हैं। ये प्रावधान केवल व्यक्ति या एचयूएफ और कुछ मामलों में फर्म या कंपनी के मामले में ही लागू थे। इसलिए, बिना प्रतिफल या अपर्याप्त प्रतिफल के लिए धनराशि या संपत्ति प्राप्त करने पर अन्य करदाताओं के मामले में ये प्रावधान लागू नहीं होते थे।

33.4 बिना प्रतिफल या अपर्याप्त प्रतिफल के धनराशि या संपत्ति प्राप्त करने की प्रथा को रोकने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (2) में एक नया खंड (x) जोड़ा गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि किसी व्यक्ति द्वारा बिना प्रतिफल या अपर्याप्त प्रतिफल के 50,000 रुपये से अधिक धनराशि या संपत्ति की प्राप्ति प्राप्तकर्ता के हाथों में "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी। कुछ ट्रस्टों या संस्थाओं द्वारा प्राप्तियों और कुछ हस्तांतरणों के माध्यम से प्राप्तियों को, जिन्हें आयकर अधिनियम की धारा 47 के अंतर्गत हस्तांतरण नहीं माना जाता, शामिल करके अपवादों का दायरा भी बढ़ा दिया गया है।

33.5 परिणामी संशोधनों में अधिग्रहण की लागत के निर्धारण के लिए आयकर अधिनियम की धारा 49 और आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(x) में निर्दिष्ट धनराशि या संपत्ति के मूल्य को आय की परिभाषा में शामिल करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 2(24) भी शामिल की गई है।

33.6 प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और 1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद धनराशि या संपत्ति की उक्त प्राप्ति आयकर अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (x) के प्रावधानों के अनुसार कर योग्य होगी।

34. निवासी को भुगतान से कर की कटौती न करने की अनुमति।

34.1 आयकर अधिनियम की धारा 58 उन राशियों को निर्दिष्ट करती है जो "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना में कटौती योग्य नहीं हैं, जिनमें "व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति" शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना में की गई कुछ अस्वीकृतियाँ शामिल हैं। इन अस्वीकृतियों में नकद व्यय की अस्वीकृति, अनिवासी को किए गए भुगतान से कर की कटौती न करने की अस्वीकृति आदि जैसी अस्वीकृतियाँ शामिल हैं।

34.2 "व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति" शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना के लिए, निवासी को किए गए भुगतान से कर की कटौती न करने की भी अनुमति नहीं दी जाती है। स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन में सुधार हेतु, आयकर अधिनियम की धारा 58 में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि आयकर अधिनियम की धारा 40(क)(ia) के प्रावधान, जहाँ तक हो सके, "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य आय की गणना में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे "व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति" शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य आय की गणना में लागू होते हैं।

34.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के वर्षों से लागू होगा।

35. गृह संपत्ति से हानि के समायोजन पर प्रतिबंध।

35.1 आयकर अधिनियम की धारा 71 एक मद से हुई हानि को दूसरे मद से हुई आय से समायोजित करने से संबंधित है।

35.2 अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, उक्त धारा में एक नई उप-धारा (3ए) जोड़ी गई है, जिसके अनुसार 'गृह संपत्ति से आय' शीर्षक के अंतर्गत किसी अन्य आय शीर्षक के विरुद्ध हानि का समायोजन किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए दो लाख रुपये तक सीमित रहेगा। हालाँकि, आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, अनवशोषित हानि को आगामी वर्षों में समायोजन हेतु आगे ले जाने की अनुमति होगी।

35.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के वर्षों से लागू होगा।

36. कुछ कम्पनियों के मामले में हानि को आगे ले जाना और समायोजित करना।

36.1 अधिनियम द्वारा संशोधन से पूर्व, आयकर अधिनियम की धारा 79 के प्रावधानों में यह प्रावधान था कि जहाँ किसी कंपनी के मामले में पिछले वर्ष में शेयरधारिता में परिवर्तन हुआ है, वह ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें जनता की पर्याप्त रुचि है, पिछले वर्ष से पहले किसी भी वर्ष में हुई हानि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और पिछले वर्ष की आय के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा, जब तक कि पिछले वर्ष के अंतिम दिन कंपनी के शेयर, जिनके पास मतदान शक्ति का कम से कम इक्यावन प्रतिशत है, उस व्यक्ति द्वारा लाभकारी रूप से धारित न किए गए हों, जिसके पास उस वर्ष या वर्षों के अंतिम दिन कंपनी के शेयर, जिनके पास मतदान शक्ति का कम से कम इक्यावन प्रतिशत है, लाभकारी रूप से धारित थे, जिसमें हानि हुई थी।

36.2 व्यापार करने में आसानी को सुगम बनाने और स्टार्ट-अप इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 79 में संशोधन किया गया है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहाँ किसी कंपनी के मामले में पिछले वर्ष में शेयरधारिता में परिवर्तन हुआ है, वह कंपनी ऐसी नहीं है जिसमें जनता की पर्याप्त रुचि है और आयकर अधिनियम की धारा 80-आईएसी में निर्दिष्ट पात्र स्टार्ट-अप है, तो हानि को आगे ले जाया जाएगा और पिछले वर्ष की आय के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा, यदि ऐसी कंपनी के सभी शेयरधारक, जिनके पास उस वर्ष या वर्षों के अंतिम दिन मतदान शक्ति वाले शेयर थे, जिनमें हानि हुई थी, जो उस वर्ष से शुरू होने वाले सात वर्षों की अवधि के दौरान हुई हानि है जिसमें ऐसी कंपनी शामिल हुई है, ऐसे पिछले वर्ष के अंतिम दिन उन शेयरों को धारण करना जारी रखते हैं।

36.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों से लागू होगा।

37. स्व-नियोजित व्यक्ति के लिए धारा 80सीसीडी के तहत कटौती का युक्तिकरण।

37.1 आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी के प्रावधानों के अनुसार, कर्मचारियों या अन्य व्यक्तियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट (एनपीएस) में जमा राशि पर कटौती की अनुमति होगी। आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी(1) के अंतर्गत कटौती, किसी कर्मचारी के वेतन के 10% से अधिक या अन्य व्यक्तियों के सकल कुल आय के 10% से अधिक नहीं हो सकती। हालाँकि, आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी(2) के प्रावधानों के अंतर्गत, किसी कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा किए गए अंशदान के संबंध में उसके वेतन के 10% तक की अतिरिक्त कटौती की अनुमति थी। इस प्रकार, किसी कर्मचारी के मामले में, आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी के अंतर्गत अनुमत कटौती वेतन के 20% तक होती थी, जबकि अन्य व्यक्तियों के मामले में, धारा 80सीसीडी के अंतर्गत कुल कटौती सकल कुल आय के 10% तक सीमित थी।

37.2 एक व्यक्ति जो कर्मचारी है और एक व्यक्ति जो स्व-नियोजित है, के बीच समानता प्रदान करने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी में

संशोधन किया गया है ताकि कर्मचारी के अलावा अन्य व्यक्ति के मामले में सकल कुल आय की 10% की ऊपरी सीमा को बढ़ाकर 20% किया जा सके।

37.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के वर्षों से लागू होगा।

38. धारा 80सीसीजी के तहत कटौती का युक्तिकरण।

38.1 आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीजी के प्रावधानों के तहत, किसी निवासी व्यक्ति को सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों या इक्विटी उन्मुख फंड की सूचीबद्ध इकाइयों में किए गए निवेश के लिए लगातार तीन मूल्यांकन वर्षों के लिए 25,000 रुपये तक की कटौती की अनुमति है, बशर्ते कि वह कुछ शर्तों को पूरा करता हो।

38.2 यह कटौती वित्त अधिनियम, 2012 के तहत शुरू की गई थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केवल सीमित संख्या में व्यक्ति ही इस कटौती का लाभ उठा रहे थे और आयकर अधिनियम के अध्याय VI-A के तहत उपलब्ध कटौतियों की बहुलता को युक्तिसंगत बनाने के लिए, धारा 80CCG में संशोधन किया गया है ताकि इस कटौती को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा सके और यह प्रावधान किया गया है कि उक्त धारा के तहत कोई भी कटौती आकलन वर्ष 2018-19 से अनुमत नहीं होगी। हालाँकि, यदि कोई करदाता आकलन वर्ष 2017-18 और उससे पहले के आकलन वर्षों के लिए इस धारा के तहत कटौती का दावा करता है, तो उसे आकलन वर्ष 2019-20 तक इस धारा के तहत कटौती की अनुमति दी जाएगी, यदि वह इस धारा के प्रावधानों के अनुसार कटौती का दावा करने के लिए पात्र है।

38.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के वर्षों से लागू होगा।

39. नकद दान पर प्रतिबंध लगाना.

39.1 अधिनियम द्वारा संशोधन से पूर्व, आयकर अधिनियम की धारा 80जी में यह प्रावधान था कि 10,000 रुपये से अधिक की राशि के दान के संबंध में कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि उसका भुगतान नकद के अलावा किसी अन्य तरीके से नहीं किया गया हो।

39.2 नकदी रहित अर्थव्यवस्था और पारदर्शिता प्रदान करने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 80 जी में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि दो हजार रुपये से अधिक की किसी भी राशि के दान के संबंध में धारा 80 जी के तहत कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि ऐसी राशि नकद के अलावा किसी अन्य तरीके से भुगतान नहीं की जाती है।

39.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के वर्षों से लागू होगा।

40. स्टार्ट-अप द्वारा कटौती का दावा करने की अवधि बढ़ाना।

40.1 अधिनियम द्वारा संशोधन से पूर्व, आयकर अधिनियम की धारा 80-आईएसी के प्रावधानों में यह प्रावधान था कि पात्र स्टार्ट-अप को उस वर्ष से प्रारंभ होने वाले पांच वर्षों में से लगातार तीन मूल्यांकन वर्षों के लिए पात्र व्यवसाय से प्राप्त लाभ और प्राप्ति के 100% के बराबर राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी, जिसमें ऐसा पात्र स्टार्ट-अप शामिल किया गया है।

40.2 इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्टार्ट-अप को अपने व्यवसाय से लाभ प्राप्त करने में समय लग सकता है, आयकर अधिनियम की धारा 80-आईएसी में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि धारा 80-आईएसी के तहत कटौती का दावा पात्र स्टार्ट-अप द्वारा उस वर्ष से शुरू होने वाले सात वर्षों में से किसी भी लगातार तीन आकलन वर्षों के लिए किया जा सकता है जिसमें ऐसा पात्र स्टार्ट-अप शामिल किया गया है।

40.3 प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के वर्षों से लागू होंगे।

41. किरायाती आवास को बढ़ावा देने के लिए धारा 80-आईबीए के प्रावधानों का युक्तिकरण।

41.1 आयकर अधिनियम की धारा 80-आईबीए, कुछ आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण से प्राप्त लाभ और आय पर, निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, 100% कटौती का प्रावधान करती है। अधिनियम में संशोधन से पहले, निर्दिष्ट शर्तों में, अन्य बातों के अलावा, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में या इन चार शहरों की नगरपालिका सीमाओं से 25 किलोमीटर के भीतर स्थित परियोजनाओं के संबंध में आवासीय इकाई के निर्मित क्षेत्रफल के लिए 30 वर्ग मीटर की सीमा शामिल थी। इसके अलावा, यह भी प्रावधान किया गया था कि कटौती का दावा करने के लिए पात्र होने हेतु, परियोजना को तीन वर्षों की अवधि के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक है।

41.2 किरायाती आवास क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए, धारा 80-आईबीए में संशोधन किया गया है ताकि निम्नलिखित छूट प्रदान की जा सके:

- (i) आवासीय इकाई का आकार रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 में परिभाषित "कालीन क्षेत्र" को ध्यान में रखकर मापा जाएगा, न कि "निर्मित क्षेत्र" को।
- (ii) आवासीय इकाइयों के आकार पर 30 वर्ग मीटर का प्रतिबंध चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता या मुंबई की नगरपालिका सीमा से 25 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित स्थान पर लागू नहीं होगा।
- (iii) इस धारा के अंतर्गत कटौती का दावा करने के लिए परियोजना के पूरा होने की अवधि की शर्त को तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष किया

जाएगा।

41.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के वर्षों से लागू होगा।

42. धारा 87ए के तहत स्वीकार्य छूट का युक्तिकरण।

42.1 अधिनियम द्वारा संशोधन से पहले, आयकर अधिनियम की धारा 87ए के प्रावधानों में किसी निवासी व्यक्ति को देय आयकर पर 5000 रुपये तक की छूट का प्रावधान था, यदि उसकी कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं थी।

42.2 2,50,000 रुपये से 5,00,000 रुपये की आय स्लैब में व्यक्तियों के लिए कर दरों के युक्तिकरण के मद्देनजर, आयकर अधिनियम की धारा 87ए में संशोधन किया गया है ताकि इस धारा के तहत उपलब्ध छूट की अधिकतम राशि 5000 रुपये से घटाकर 2500 रुपये कर दी जाए। यह भी प्रावधान किया गया है कि यह छूट केवल उन निवासी व्यक्तियों को उपलब्ध होगी जिनकी कुल आय 3,50,000 रुपये से अधिक नहीं है।

42.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों से लागू होगा।

धारा 90 और 90ए के तहत किए गए समझौते में प्रयुक्त 'शब्दों' की व्याख्या के संबंध में स्पष्टीकरण।

43.1 आयकर अधिनियम की धारा 90 के प्रावधानों के अंतर्गत, केंद्र सरकार को भारत के बाहर किसी भी देश की सरकार के साथ समझौता करने का अधिकार दिया गया है। इस समझौते के अंतर्गत, वह उस आय के संबंध में राहत प्रदान कर सकती है जिस पर उस विदेशी देश के आयकर अधिनियम और आयकर कानून, दोनों के अंतर्गत आयकर का भुगतान किया गया है। इसके अलावा, वह आय पर दोहरे कराधान से बच सकती है, आयकर चोरी या कर से बचने की रोकथाम या आयकर वसूली के लिए सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकती है। भारत में किसी निर्दिष्ट संघ द्वारा भारत के बाहर किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में किसी निर्दिष्ट संघ के साथ किए गए समझौते के मामले में, आयकर अधिनियम की धारा 90A में भी इसी प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं।

43.2 धारा 90 और 90ए में आगे यह प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किया गया कोई 'शब्द' या संबंधित प्रावधानों की उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार का वही अर्थ होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में आधिकारिक राजपत्र में जारी अधिसूचना में दिया गया है, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, बशर्ते कि वह इस अधिनियम या करार के प्रावधानों से असंगत न हो।

43.3 आयकर सरलीकरण समिति की अंतिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों में से एक सिफारिश यह है कि आयकर अधिनियम में धारा 90 या 90ए के तहत किए गए समझौते में प्रयुक्त 'शर्तों' की व्याख्या के संबंध में अधिक स्पष्टता लाई जाए ताकि गैर-निवासियों के कराधान से संबंधित अपरिहार्य मुकदमेबाजी को कम किया जा सके।

43.4 उपर्युक्त चर्चा के आलोक में और मुकदमेबाजी से बचने के लिए स्पष्टता लाने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 90 और 90ए में क्रमशः एक नया स्पष्टीकरण 4 जोड़ा गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां आयकर अधिनियम की धारा 90 और 90ए की उपधारा (1) के तहत किए गए समझौते में प्रयुक्त कोई 'शब्द' उक्त समझौते के तहत परिभाषित किया गया है, उक्त शब्द को उक्त समझौते में दिए गए अर्थ के अनुसार निर्दिष्ट किया जाएगा और जहां 'शब्द' को समझौते में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन आयकर अधिनियम में परिभाषित किया गया है, इसे आयकर अधिनियम और स्पष्टीकरण में दिए गए अर्थ के अनुसार निर्दिष्ट किया जाएगा, यदि कोई हो, केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है।

43.5 प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के वर्षों से लागू होंगे।

44. निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन (एसडीटी) से संबंधित आयकर अधिनियम की धारा 92बीए का दायरा।

44.1 अधिनियम द्वारा संशोधन से पहले, आयकर अधिनियम की धारा 92बीए के प्रावधानों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान था कि आयकर अधिनियम की धारा 40ए(2)(बी) के तहत करदाता द्वारा कुछ "निर्दिष्ट व्यक्तियों" को किए गए भुगतान के संबंध में कोई भी व्यय एसडीटी के दायरे में आता था।

44.2 अनुपालन और रिपोर्टिंग के मामले में, करदाताओं को फॉर्म 3सीईबी में चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता थी, जिसमें संबंधित पक्षों की सूची, एसडीटी की प्रकृति और मूल्य, एसडीटी के लिए आर्म्स लेंथ मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त विधि, एसडीटी के रूप में नहीं माने जाने वाले कुछ लेनदेन के संबंध में अपनाई गई स्थिति आदि जैसे विवरण उपलब्ध कराए गए थे। इससे करदाताओं पर अनुपालन का बोझ काफी बढ़ गया था।

44.3 करदाताओं के अनुपालन भार को कम करने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 92बीए में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि ऐसे व्यय जिनके संबंध में करदाता द्वारा धारा 40ए(2)(बी) के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यक्ति को भुगतान किया गया है, उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 92बीए के दायरे से बाहर रखा जाएगा। आयकर अधिनियम की धारा 40ए(2)(ए) में भी परिणामी संशोधन किया गया है।

44.4 प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2017-18 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों से लागू होंगे।

45. कुछ मामलों में द्वितीयक समायोजन।

45.1 "द्वितीयक समायोजन" का अर्थ है करदाता और उसके संबद्ध उद्यम के लेखा-बही में एक समायोजन जो यह दर्शाता है कि करदाता और उसके संबद्ध उद्यम के बीच लाभ का वास्तविक आवंटन प्राथमिक समायोजन के परिणामस्वरूप निर्धारित हस्तांतरण मूल्य के अनुरूप है, जिससे करदाता के नकद खाते और वास्तविक लाभ के बीच असंतुलन दूर हो जाता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के बहुराष्ट्रीय उद्यमों और कर प्रशासनों के लिए हस्तांतरण मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों (OECD हस्तांतरण मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश) के अनुसार, द्वितीयक समायोजन रचनात्मक लाभांश, रचनात्मक इक्विटी अंशदान, या रचनात्मक ऋण के रूप में हो सकता है।

45.2 द्वितीयक समायोजन के प्रावधान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं और दुनिया की कई अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के हस्तांतरण मूल्य निर्धारण नियमों का हिस्सा बन चुके हैं। हालाँकि अलग-अलग देशों द्वारा द्वितीयक समायोजन के तरीके अलग-अलग हैं, फिर भी वे लेन-देन के आर्थिक लाभ को आर्म्स लेंथ स्थिति के साथ सरेखित करने की एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पद्धति का प्रतिनिधित्व करते हैं।

45.3 स्थानांतरण मूल्य निर्धारण प्रावधानों को ओईसीडी स्थानांतरण मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाने के लिए, आयकर अधिनियम में एक नई धारा 92सीई जोड़ी गई है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि करदाता को द्वितीयक समायोजन करना होगा, जहां स्थानांतरण मूल्य में प्राथमिक समायोजन, करदाता द्वारा अपनी आयकर विवरणी में स्वप्रेरणा से किया गया है; या कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया समायोजन करदाता द्वारा स्वीकार कर लिया गया है; या करदाता द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 92सीसी के तहत किए गए अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते द्वारा निर्धारित किया गया है; या आयकर अधिनियम की धारा 92सीबी के तहत बनाए गए सुरक्षित बंदरगाह नियमों के अनुसार किया गया है; या आयकर अधिनियम की धारा 90 या 90ए के तहत किए गए समझौते के तहत आपसी सहमति प्रक्रिया के माध्यम से कर निर्धारण के समाधान के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है।

45.4 यह भी प्रावधान किया गया है कि जहां अंतरण मूल्य में प्राथमिक समायोजन के परिणामस्वरूप, करदाता की कुल आय में वृद्धि होती है या हानि में कमी होती है, जैसा भी मामला हो, तो उसके संबद्ध उद्यम के पास उपलब्ध अतिरिक्त धनराशि, यदि निर्धारित समय के भीतर भारत को प्रत्यावर्तित नहीं की जाती है, तो उसे करदाता द्वारा ऐसे संबद्ध उद्यम को दिया गया अग्रिम माना जाएगा और ऐसे अग्रिम पर ब्याज की गणना करदाता की आय के रूप में, निर्धारित तरीके से की जाएगी।

45.5 यह भी प्रावधान किया गया है कि ऐसा द्वितीयक समायोजन नहीं किया जाएगा, यदि किसी पूर्व वर्ष में किसी करदाता के मामले में किए गए प्राथमिक समायोजन की राशि एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है या प्राथमिक समायोजन 1 अप्रैल, 2016 को या उससे पहले प्रारंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष के संबंध में किया गया है।

45.6 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के वर्षों से लागू होगा।

46. कुछ मामलों में ब्याज कटौती की सीमा.

46.1 किसी कंपनी का वित्तपोषण या पूंजीकरण आमतौर पर ऋण और इक्विटी के मिश्रण के माध्यम से होता है। किसी कंपनी के पूंजीकरण का तरीका अक्सर कर उद्देश्यों के लिए उसके द्वारा रिपोर्ट किए जाने वाले लाभ की राशि पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है क्योंकि देशों के कर कानून आमतौर पर कर उद्देश्यों के लिए लाभ की गणना में चुकाए गए या देय ब्याज पर कटौती की अनुमति देते हैं, जबकि इक्विटी अंशदान पर दिए गए लाभांश पर कटौती नहीं की जाती है। इसलिए, किसी कंपनी में ऋण का स्तर जितना अधिक होगा, और इस प्रकार वह जितना अधिक ब्याज चुकाएगी, उसका कर योग्य लाभ उतना ही कम होगा। इस कारण से, ऋण अक्सर इक्विटी की तुलना में वित्तपोषण का अधिक कर-कुशल तरीका होता है। बहुराष्ट्रीय उद्यम (MNE) अक्सर इन लाभों को अधिकतम करने के लिए अपनी वित्तपोषण व्यवस्था को संरचित करने में सक्षम होते हैं। इसी कारण से, कई देशों के कर प्रशासनों ने ऐसे नियम लागू किए हैं जो कर उद्देश्यों के लिए किसी कंपनी के लाभ की गणना में कटौती की जा सकने वाली ब्याज की राशि पर एक सीमा निर्धारित करते हैं। ऐसे नियम अत्यधिक ब्याज भुगतान के माध्यम से लाभ के सीमा-पार स्थानांतरण को रोकने के लिए बनाए गए हैं, और इस प्रकार किसी देश के कर आधार की रक्षा करने का लक्ष्य रखते हैं।

46.2 जी-20 देशों की पहल के तहत, ओईसीडी ने अपने आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (बीईपीएस) परियोजना में कार्य योजना 4 में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अत्यधिक ब्याज कटौती के माध्यम से आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण के मुद्दे को उठाया था और इस मुद्दे को हल करने के लिए अपनी अंतिम रिपोर्ट में कई उपायों की सिफारिश की है।

46.3 उपर्युक्त के मद्देनजर, आयकर अधिनियम में एक नई धारा 94बी जोड़ी गई है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि किसी इकाई द्वारा अपने संबद्ध उद्यमों के लिए दावा किया गया ब्याज व्यय ब्याज, कर, मूल्यहास और परिशोधन (ईबीआईटीडीए) से पहले की उसकी कमाई के 30% या संबद्ध उद्यम को भुगतान किए गए या देय ब्याज, जो भी कम हो, तक सीमित रहेगा।

46.4 आयकर अधिनियम की धारा 94बी के प्रावधान किसी भारतीय कंपनी, या किसी विदेशी कंपनी के स्थायी प्रतिष्ठान पर लागू होंगे, जो उधारकर्ता है और किसी अनिवासी या अनिवासी के स्थायी प्रतिष्ठान को जारी किए गए किसी भी प्रकार के ऋण के संबंध में ब्याज का भुगतान करता है और उधारकर्ता का 'संबद्ध उद्यम' है। इसके अतिरिक्त, ऋण को एक संबद्ध उद्यम द्वारा जारी किया गया माना जाएगा, जहाँ वह ऋणदाता को एक अंतर्निहित या स्पष्ट गारंटी प्रदान करता है या

ऋणदाता के पास निधियों की एक समतुल्य और समतुल्य राशि जमा करता है।

46.5 उक्त धारा के प्रावधान अस्वीकृत ब्याज व्यय को उस कर निर्धारण वर्ष के तुरंत बाद के आठ कर निर्धारण वर्षों तक आगे ले जाने की अनुमति देते हैं जिसके लिए पहली बार अस्वीकृत किया गया था और साथ ही अधिकतम स्वीकार्य ब्याज व्यय की सीमा तक 'व्यवसाय या पेशे के लाभ और प्राप्ति' शीर्षक के तहत गणना की गई आय के विरुद्ध कटौती की भी अनुमति देते हैं।

46.6 केवल बड़े ब्याज भुगतानों को लक्षित करने के लिए, उक्त धारा में ब्याज व्यय की एक सीमा एक करोड़ रुपये निर्धारित की गई है, जिसके अधिक होने पर यह प्रावधान लागू होगा।

46.7 इसके अतिरिक्त, बैंकों और बीमा व्यवसायों को भी इन व्यवसायों की विशेष प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रावधानों के दायरे से बाहर रखा गया है।

46.8 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के वर्षों से लागू होगा।

47. लाभांश के माध्यम से आय पर कराधान का युक्तिकरण।

47.1 अधिनियम द्वारा संशोधन से पूर्व, आयकर अधिनियम की धारा 115बीबीडीए में निहित प्रावधानों में निर्दिष्ट किया गया था कि निवासी व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार या फर्म के मामले में 10 लाख रुपये से अधिक के लाभांश के माध्यम से आय पर सकल आधार पर 10% की दर से कर लगेगा।

47.2 लाभांश से आय प्राप्त करने वाले सभी श्रेणियों के करदाताओं के बीच क्षैतिज इक्विटी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, धारा 115बीबीडीए को संशोधित किया गया है ताकि यह निर्दिष्ट किया जा सके कि उक्त धारा के प्रावधान घरेलू कंपनी और कुछ फंडों, ट्रस्टों, संस्थानों आदि को छोड़कर सभी निवासी करदाताओं पर लागू होंगे।

47.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के वर्षों से लागू होगा।

48. कार्बन क्रेडिट के हस्तांतरण से आय।

48.1 कार्बन क्रेडिट, कार्बन डाइऑक्साइड सहित ग्रीन हाउस गैसों (जीएचजी) के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए किसी औद्योगिक उपक्रम को दिया जाने वाला एक प्रोत्साहन है। जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के कई तरीके हैं, जैसे पवन और सौर ऊर्जा का उपयोग, वन पुनर्जनन, ऊर्जा-कुशल मशीनरी की स्थापना, लैंडफिल मीथेन संग्रहण आदि। क्योटो प्रोटोकॉल कुछ विकसित देशों को अपने जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करता है, जिसके लिए उन्हें कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा। उत्सर्जन में कमी से संस्था को प्रमाणित उत्सर्जन न्यूनीकरण (सीईआर) प्रमाणपत्र के रूप में क्रेडिट प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। सीईआर प्रमाणपत्र व्यापार योग्य है और इसका धारक इसे उस संस्था को हस्तांतरित कर सकता है जिसे जीएचजी न्यूनीकरण पर प्रतिकूल स्थिति से उबरने के लिए कार्बन क्रेडिट की आवश्यकता है।

48.2 आयकर विभाग कार्बन क्रेडिट के हस्तांतरण से होने वाली आय को व्यावसायिक आय मानता रहा है, जिस पर 30% की दर से कर लगता है। हालाँकि, इस मुद्दे पर न्यायालयों द्वारा अलग-अलग निर्णय दिए गए हैं कि कार्बन क्रेडिट के हस्तांतरण पर प्राप्त या प्राप्य आय राजस्व प्राप्ति है या पूंजीगत प्राप्ति।

48.3 कार्बन क्रेडिट के हस्तांतरण से प्राप्त आय पर कराधान के मुद्दे पर स्पष्टता लाने और पर्यावरण संरक्षण के उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए, आयकर अधिनियम में एक नई धारा 115BBG जोड़ी गई है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहाँ करदाता की कुल आय में कार्बन क्रेडिट के हस्तांतरण से प्राप्त आय शामिल है, ऐसी आय, ऐसी आय की कुल राशि पर दस प्रतिशत की रियायती दर (लागू अधिभार और उपकर सहित) पर कर योग्य होगी। आयकर अधिनियम के अंतर्गत ऐसी आय के संबंध में कोई व्यय या भत्ता अनुमत नहीं होगा।

48.4 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के वर्षों से लागू होगा।

49. न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) और वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) के लिए कर क्रेडिट से संबंधित प्रावधानों का युक्तिकरण।

49.1 आयकर अधिनियम की धारा 115जेए में आयकर अधिनियम की धारा 115जेबी के अंतर्गत कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए एमएटी के संबंध में कर क्रेडिट को आगे ले जाने और समायोजित करने के प्रावधान हैं। अधिनियम में संशोधन से पहले, प्रावधानों में यह निर्दिष्ट किया गया था कि कर क्रेडिट को अधिकतम दस निर्धारण वर्षों के लिए आगे ले जाया जा सकता है।

49.2 एमएटी का भुगतान करने वाले करदाताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम की धारा 115जेए में संशोधन किया गया है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि इस धारा के अंतर्गत निर्धारित कर क्रेडिट को उस कर निर्धारण वर्ष के तुरंत बाद के पंद्रह कर निर्धारण वर्षों तक आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसमें ऐसा कर क्रेडिट स्वीकार्य हो जाता है।

49.3 इसी प्रकार, आयकर अधिनियम की धारा 115जेडी को भी संशोधित किया गया है ताकि गैर-कॉर्पोरेट करदाताओं के मामले में आयकर अधिनियम की धारा 115जेसी के तहत भुगतान किए गए एएमटी को पंद्रह कर निर्धारण वर्षों तक आगे ले जाने की अनुमति दी जा सके।

49.4 आयकर अधिनियम की धारा 115जेए और 115जेडी को भी संशोधित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि एमएटी/एएमटी के संबंध में कर क्रेडिट की राशि को आगामी वर्ष में आगे ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जहां तक ऐसा क्रेडिट एमएटी/एएमटी के विरुद्ध अनुमत विदेशी कर क्रेडिट

(एफटीसी) की राशि और एमएटी/एमटी से संबंधित प्रावधानों के अलावा अधिनियम के नियमित प्रावधानों के तहत गणना किए गए कर के विरुद्ध स्वीकार्य एफटीसी के बीच के अंतर से संबंधित है।

49.5 प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के वर्षों से लागू होंगे।

50. भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के अनुरूप धारा 115जेबी के प्रावधानों का युक्तिकरण।

50.1 केंद्र सरकार ने भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) को अधिसूचित किया है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ एकीकृत किया गया है और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 निर्धारित किए हैं, जिसमें इंड एस के कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप निर्धारित किया गया है।

50.2 वैश्विक स्तर पर, IFRS को अपनाने से उत्पन्न होने वाले कर संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। कंपनियों में क्षेत्रीय समता सुनिश्चित करने के लिए, चाहे वे भारतीय लेखा मानक (इंड एस) का पालन करें या भारतीय सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) का, केंद्र सरकार ने आय के निर्दिष्ट शीर्षों के लिए कर योग्य आय की गणना हेतु आय गणना और प्रकटीकरण मानक (आईसीडीएस) जारी किए हैं।

50.3 चूंकि भारतीय लेखा मानक (इंड एस) अनुरूप वित्तीय विवरण पर आधारित बही लाभ भारतीय जीएएपी पर आधारित बही लाभ से भिन्न होने की संभावना है, इसलिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने जून 2015 में एक समिति का गठन किया, जो अपनाने के वर्ष और उसके बाद भारतीय लेखा मानक (इंड एस) अनुरूप कंपनियों के लिए धारा 115जेबी के तहत एमएटी देयता की गणना के लिए रूपरेखा का सुझाव देगी।

50.4 समिति ने 18 मार्च, 2016 को अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे सीबीडीटी ने व्यापक सार्वजनिक परामर्श के लिए सार्वजनिक कर दिया। समिति ने 5 अगस्त, 2016 को अपनी दूसरी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे भी सार्वजनिक कर दिया गया। पहली और दूसरी अंतरिम रिपोर्टों के संबंध में प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों की समिति द्वारा जाँच की गई। प्राप्त सभी सुझावों/टिप्पणियों पर विचार करने के बाद, समिति ने 22 दिसंबर, 2016 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

50.5 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आयकर अधिनियम की धारा 115JB में संशोधन किया गया है ताकि भारतीय लेखा मानक (इंड एस) का अनुपालन करने वाली कंपनियों के लिए, अपनाने के वर्ष और उसके बाद, बही लाभ की गणना हेतु रूपरेखा प्रदान की जा सके। अपनाने के वर्ष और उसके बाद, भारतीय लेखा मानक (इंड एस) का अनुपालन करने वाली कंपनियों के लिए, अपनाने के वर्ष और उसके बाद, बही लाभ की गणना हेतु इस रूपरेखा की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

A. भारतीय लेखा मानक अनुरूप वित्तीय विवरण पर MAT

- (i) आयकर अधिनियम की धारा 115जेबी के अंतर्गत पहले से निर्दिष्ट के अलावा, भारतीय लेखा मानक अनुपालक कंपनियों के अन्य व्यापक आय से पहले शुद्ध लाभ में कोई और समायोजन नहीं किया जाएगा।
- (ii) अन्य व्यापक आय में कुछ ऐसी मदें शामिल हैं जिन्हें स्थायी रूप से आरक्षित निधियों में दर्ज किया जाएगा और इसलिए उन्हें कभी भी लाभ-हानि विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा, जो बही लाभ की गणना में शामिल हैं। इन मदों को नीचे निर्दिष्ट समय पर एमएटी प्रयोजनों के लिए बही लाभ में शामिल किया जाएगा:—

क्रम सं.	सामान	समय का बिंदु
1	संपत्ति, संयंत्र या उपकरण (पीपीई) और अमूर्त परिसंपत्तियों (इंड एस 16 और इंड एस 38) के पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन	प्राप्ति/निपटान/सेवानिवृत्ति के समय या अन्यथा हस्तांतरित होने पर बही लाभ में शामिल किया जाना चाहिए
2	अन्य व्यापक आय (इंड एस 109) के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट इक्विटी उपकरणों में निवेश से लाभ और हानि	प्राप्ति/निपटान/सेवानिवृत्ति के समय या अन्यथा हस्तांतरित होने पर बही लाभ में शामिल किया जाना चाहिए
3	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन (इंड एस 19)	पुनः मापन लाभ और हानि उत्पन्न होने पर प्रत्येक वर्ष लाभ बही में शामिल किया जाएगा
4	कोई अन्य वस्तु	लाभ और हानि होने पर प्रत्येक वर्ष लाभ बही में शामिल किया जाएगा

- (iii) भारतीय लेखा मानक 10 के परिशिष्ट ए में प्रावधान है कि शेयरधारकों को गैर-नकद परिसंपत्तियों का कोई भी वितरण (उदाहरण के

लिए, विभाजन में) उचित मूल्य पर हिसाब में लिया जाएगा। परिसंपत्तियों के वहन मूल्य और उचित मूल्य के बीच का अंतर लाभ-हानि खाते में दर्ज किया जाता है। इसी प्रकार, शेयरधारकों को वितरण को 'माना गया लाभांश' के रूप में दर्ज करने के लिए आरक्षित निधियों को उचित मूल्य पर डेबिट किया जाता है। चूंकि प्रतिधारित आय में एक संगत समायोजन होता है, विभाजन पर उत्पन्न होने वाले इस अंतर को लाभ बही से बाहर रखा जाएगा। हालाँकि, परिणामी कंपनी के मामले में, जहाँ उपक्रम या उसके द्वारा प्राप्त किए जा रहे उपक्रमों की संपत्ति और देनदारियाँ विभाजन से ठीक पहले विभाजन वाली कंपनी की खाता बहियों में दिखाई देने वाले मूल्यों से भिन्न मूल्यों पर दर्ज की जाती हैं, ऐसे मूल्य में किसी भी परिवर्तन को परिणामी कंपनी के लाभ बही की गणना के प्रयोजनार्थ अनदेखा कर दिया जाएगा।

बी. पहली बार गोद लेने पर एमएटी

- (में) भारतीय GAAP से भारतीय लेखा मानक (इंड एस) में परिवर्तन के कारण होने वाले समायोजनों को भारतीय लेखा मानक (इंड एस) में परिवर्तन की तिथि पर सीधे अन्य इक्विटी में दर्ज किया जाना आवश्यक है। इनमें से कई मदों को बाद में कभी भी लाभ-हानि विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा/बही लाभ की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। तदनुसार, निम्नलिखित व्यवस्था की गई है:—
- (में) अन्य व्यापक आय में दर्ज किए गए वे समायोजन, जिन्हें बाद में लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा, उस वर्ष के लाभ बही में शामिल किए जाएंगे, जिसमें इन्हें लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया गया है;
- (द्वितीय) अन्य व्यापक आय में दर्ज किए गए वे समायोजन, जिन्हें बाद में कभी भी लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा, उन्हें नीचे निर्दिष्ट अनुसार लाभ बही में शामिल किया जाएगा:—

क्रम सं.	सामान	समय का बिंदु
1	और अमूर्त परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन (इंड एस 16 और इंड एस 38)	प्राप्ति/निपटान/सेवानिवृत्ति के समय या अन्यथा हस्तांतरित होने पर बही लाभ में शामिल किया जाना चाहिए
2	अन्य व्यापक आय (इंड एस 109) के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट इक्विटी उपकरणों में निवेश से लाभ और हानि	प्राप्ति/निपटान/सेवानिवृत्ति के समय या अन्यथा हस्तांतरित होने पर बही लाभ में शामिल किया जाना चाहिए
3	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन (इंड एस 19)	भारतीय लेखा मानक (इंड एस) को पहली बार अपनाने के वर्ष से शुरू होकर पांच वर्षों की अवधि में समान रूप से बही लाभ में शामिल किया जाएगा।
4	कोई अन्य वस्तु	भारतीय लेखा मानक (इंड एस) को पहली बार अपनाने के वर्ष से शुरू होकर पांच वर्षों की अवधि में समान रूप से बही लाभ में शामिल किया जाएगा।

- (तृतीय) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के प्रभाग II में संदर्भित आरक्षित निधियों और अधिशेष (पूँजी आरक्षित निधि और प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित निधि को छोड़कर) में दर्ज सभी अन्य समायोजन, जिन्हें अन्यथा लाभ और हानि खाते में कभी भी पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा, भारतीय लेखा मानक को पहली बार अपनाने के वर्ष से शुरू होकर पांच वर्षों की अवधि में समान रूप से लाभ बही में शामिल किए जाएंगे, बशर्ते कि निम्नलिखित हो:—

- (ए) अनुमानित लागत के रूप में उचित मूल्य पर पीपीई और अमूर्त संपत्तियाँ

कोई इकाई अपने आरंभिक भारतीय लेखा बैलेंस शीट में उचित मूल्य का उपयोग भारतीय लेखा मानक 101 के पैराग्राफ डी5 और डी7 में उल्लिखित पीपीई या अमूर्त परिसंपत्ति की किसी मद के लिए मानी गई लागत के रूप में कर सकती है। ऐसे मामलों में उपचार निम्नानुसार होगा—

आयकर अधिनियम की धारा 115JB के अंतर्गत बही लाभ की गणना के प्रावधानों के अनुसार, परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के मामले में, ऐसे पुनर्मूल्यांकन के कारण होने वाले किसी भी प्रभाव को बही लाभ की गणना के प्रयोजनों के लिए नज़रअंदाज़ किया

जाएगा। इसके अतिरिक्त, पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में पहली बार अपनाने पर प्रतिधारित आय में समायोजन को बही लाभ की गणना के प्रयोजनों के लिए नज़रअंदाज़ किया जाएगा।

मूल्यहास की गणना पूर्वोक्त प्रतिधारित आय समायोजन की राशि को नज़रअंदाज़ करते हुए की जाएगी।

इसी प्रकार, ऐसी परिसंपत्तियों की प्राप्ति/निपटान/सेवानिवृत्ति पर लाभ/हानि की गणना पूर्वोक्त प्रतिधारित आय समायोजन को नज़रअंदाज़ करते हुए की जाएगी।

- (बी) अनुमानित लागत के रूप में उचित मूल्य पर सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश एक इकाई अपने आरंभिक भारतीय लेखा मानक तुलन पत्र में उचित मूल्य का उपयोग भारतीय लेखा मानक 101 के पैराग्राफ डी15 में उल्लिखित अनुसार अपने पृथक वित्तीय विवरणों में सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी में निवेश के लिए मानी गई लागत के रूप में कर सकती है। ऐसे मामलों में प्रतिधारित आय समायोजन को ऐसे निवेश की प्राप्ति के समय बही लाभ में शामिल किया जाएगा।
- (सी) संचयी अनुवाद अंतर कोई भी संस्था ऐसा विकल्प चुन सकती है जिसके तहत सभी विदेशी परिचालनों के लिए संचयी अनुवाद अंतर भारतीय लेखा मानक (इंड एस) में परिवर्तन की तिथि पर शून्य माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, किसी भी विदेशी परिचालन के बाद के निपटान पर होने वाले लाभ या हानि में भारतीय लेखा मानक (इंड एस) में परिवर्तन की तिथि से पहले उत्पन्न अनुवाद अंतर शामिल नहीं होंगे और इसमें केवल परिवर्तन की तिथि के बाद के अनुवाद अंतर शामिल होंगे। ऐसे मामलों में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि संक्रमण की तिथि पर ऐसे संचयी अनुवाद अंतर, जिन्हें प्रतिधारित आय में स्थानांतरित कर दिया गया है, को ध्यान में रखा गया है, इन्हें विदेशी परिचालनों के निपटान के समय बही लाभ में शामिल किया जाएगा, जैसा कि भारतीय लेखा मानक 21 के पैराग्राफ 48 में उल्लेख किया गया है।
- (ii) संक्रमण के समय प्रतिधारित आय में अन्य सभी समायोजन (उदाहरण के लिए, विनिवेश दायित्व, परिसंपत्ति सेवानिवृत्ति दायित्व, विदेशी मुद्रा पूंजीकरण/विपूंजीकरण, उधार लागत समायोजन आदि) को भारतीय लेखा मानक को पहली बार अपनाने के वर्ष से प्रारंभ करते हुए पांच वर्षों की अवधि में समान रूप से बही लाभ में शामिल किया जाएगा।
- (iii) अधिनियम की धारा 115JB में आस्थगित कर और उसके प्रावधानों के कारण समायोजन का प्रावधान पहले से ही है। भारतीय लेखा मानक (इंड एस) में परिवर्तन के कारण आरक्षित निधियों और अधिशेष में दर्ज किसी भी आस्थगित कर समायोजन को भी नज़रअंदाज़ किया जाएगा।

C. पहली बार गोद लेने के समायोजन के लिए संदर्भ वर्ष

भारतीय मानक ब्यूरो (IAS) को अपनाने के पहले वर्ष में, कंपनियां रिपोर्टिंग वर्ष के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (IAS) वित्तीय विवरण तैयार करेंगी, जिसमें ठीक पिछले वर्ष का तुलनात्मक वित्तीय विवरण भी शामिल होगा। भारतीय मानक ब्यूरो (IAS) 101 के अनुसार, एक कंपनी तुलनात्मक वित्तीय वर्ष की आरंभिक तिथि पर सभी भारतीय मानक ब्यूरो (IAS) समायोजन करेगी। इकाई को पिछले वर्ष की आरंभिक तिथि के साथ-साथ पिछले वर्ष की समाप्ति तिथि पर भी पिछले भारतीय GAAP और भारतीय मानक ब्यूरो (IAS) की राशियों के बीच इक्विटी समाधान प्रस्तुत करना आवश्यक है। यह प्रावधान किया गया है कि अपनाने के वर्ष के बही लाभ और समायोजन की गणना के प्रयोजनों के लिए, अपनाने के पहले वर्ष की आरंभिक तिथि तक समायोजित राशियों पर विचार किया जाएगा। उदाहरण के लिए, 1 अप्रैल, 2016 से भारतीय मानक ब्यूरो (IAS) को अपनाने वाली कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो (IAS) की आवश्यकताओं के अनुसार वर्ष 2016-17 के लिए अपने वित्तीय विवरण तैयार करने होंगे। ऐसी कंपनियों को 1 अप्रैल, 2015 तक की प्रारंभिक बैलेंस शीट तैयार करनी होगी और तुलनात्मक अवधि 2015-16 के वित्तीय विवरणों को पुनः प्रस्तुत करना होगा। ऐसे मामले में, पिछले वर्ष 2016-17 (आकलन वर्ष 2017-18) और उसके बाद की एमएटी देयता की गणना के लिए 31 मार्च, 2016 तक के प्रथम बार अंगीकरण समायोजनों पर विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस मामले में, ऊपर दी गई पाँच वर्षों की अवधि पिछले वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 होगी।

50.7 प्रयोज्यता: चूंकि कुछ कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए इंड-एस को अनिवार्य रूप से अपनाना आवश्यक है, इसलिए ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2017-18 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों से लागू होंगे।

51. स्रोत पर कर की कटौती या संग्रहण में विफलता के लिए दंड के संबंध में निर्देश जारी करने के लिए बोर्ड को सशक्त बनाना।

51.1 आयकर अधिनियम की धारा 119 की उपधारा (2) के खंड (ए) के प्रावधान बोर्ड को निर्देश या अनुदेश (जो करदाताओं के लिए प्रतिकूल न हों) निर्धारित करने वाले आदेश जारी करने का अधिकार देते हैं, जिनका राजस्व के आकलन या संग्रहण या दंड लगाने की कार्यवाही शुरू करने से संबंधित कार्य में अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा पालन किया जाना है।

51.2 धारा 271सी या 271सीए के तहत जुर्माना लगाने के कारण स्रोत पर कर की कटौती और संग्रहण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा सामना की जाने वाली वास्तविक कठिनाई को कम करने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 119 की उप-धारा (2) के खंड (ए) में उपरोक्त धाराओं का संदर्भ डाला गया है, ताकि

बोर्ड को उक्त धाराओं के संबंध में भी निर्देश या अनुदेश जारी करने का अधिकार दिया जा सके।

51.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा।

52. तलाशी आदि करने का विश्वास करने का कारण प्रकट नहीं किया जाएगा।

52.1 आयकर अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (1) और (1ए) में प्रावधान है कि जहां उसमें उल्लिखित किसी प्राधिकारी के पास, उसके पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, उक्त उप-धाराओं में निर्दिष्ट परिस्थितियों के बारे में 'विश्वास करने का कारण' या 'संदेह करने का कारण' है, तो वह उसमें निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी को तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

52.2 इसी प्रकार, आयकर अधिनियम की धारा 132ए की उपधारा (1) में यह प्रावधान है कि निर्दिष्ट आयकर प्राधिकारी 'विश्वास करने के कारण' के आधार पर उसमें उल्लिखित अन्य आयकर प्राधिकारी को किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी से करदाता की लेखा पुस्तकें, दस्तावेज या परिसंपत्तियां प्राधिकृत आयकर प्राधिकारी को सौंपने के लिए अनुरोध करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

52.3 गोपनीयता और संवेदनशीलता आयकर अधिनियम की धारा 132 और 132ए के अंतर्गत कार्यवाही की विशेषताएँ हैं। हालाँकि, कुछ न्यायिक निर्णयों ने आयकर अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत तलाशी लेने या धारा 132ए के अंतर्गत अधियाचना करने के लिए आयकर प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए 'विश्वास करने के कारण' या 'संदेह करने के कारण' के प्रकटीकरण के संबंध में अस्पष्टता पैदा कर दी थी।

52.4 इसलिए, आयकर अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) और उपधारा (1ए) तथा धारा 132ए की उपधारा (1) में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है, जिसमें घोषित किया गया है कि 'विश्वास करने का कारण' या 'संदेह करने का कारण', जैसा भी मामला हो, किसी व्यक्ति या किसी प्राधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रकट नहीं किया जाएगा।

52.5 प्रयोज्यता: ये संशोधन उक्त प्रावधानों के अधिनियमन की तिथि से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होंगे, अर्थात् आयकर अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) 1 अप्रैल, 1962 से तथा आयकर अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1ए) और धारा 132ए की उपधारा (1) 1 अक्टूबर, 1975 से प्रभावी होंगे।

53. अनंतिम कुर्की की शक्ति और मूल्यांकन अधिकारी को प्राधिकृत अधिकारी को संदर्भित करने की शक्ति।

53.1 आयकर अधिनियम की धारा 132 में निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति के अधीन तलाशी और जब्ती की शक्ति प्रदान की गई है।

53.2 तलाशी के मामलों में राजस्व के हितों की रक्षा और वसूली को सुरक्षित रखने के लिए, उक्त धारा में उप-धारा (9बी) और (9सी) जोड़ी गई हैं, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि तलाशी या जब्ती के दौरान या तलाशी के लिए अंतिम प्राधिकरण जारी होने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर, प्राधिकृत अधिकारी, यह संतुष्ट होने पर कि राजस्व के हितों की रक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक है, प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान निदेशक या निदेशक के पूर्व अनुमोदन से करदाता की किसी भी संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क कर सकता है। यह प्रावधान किया गया है कि ऐसी अनंतिम कुर्की, ऐसी कुर्की के आदेश की तारीख से छह महीने की समाप्ति के बाद प्रभावी नहीं रहेगी।

53.3 आयकर विभाग की जाँच शाखा द्वारा करदाता द्वारा निवेश या संपत्ति के रूप में रखी गई अधोषित आय का सही आकलन और परिमाणीकरण करने हेतु, आयकर अधिनियम की धारा 132 में एक नई उप-धारा (9डी) जोड़ी गई है, जिसके अनुसार तलाशी के मामले में, प्राधिकृत अधिकारी, किसी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य के आकलन के प्रयोजनार्थ, आयकर अधिनियम की धारा 142ए में निर्दिष्ट मूल्यांकन अधिकारी को उस उप-धारा के अंतर्गत निर्धारित तरीके से मूल्यांकन हेतु संदर्भित कर सकता है। इसमें यह भी प्रावधान है कि मूल्यांकन अधिकारी ऐसे संदर्भ की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

53.4 आयकर अधिनियम की धारा 132 के स्पष्टीकरण 1 में भी संशोधन किया गया है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि उप-धारा (9ए), (9बी) और (9डी) के प्रयोजनों के लिए, "तलाशी के लिए प्राधिकरण के निष्पादन" शब्द के संबंध में, आयकर अधिनियम की धारा 153बी की उप-धारा (2) के प्रावधान लागू होंगे।

53.5 प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे।

54. सूचना मांगने की शक्ति के संबंध में उपबंधों का युक्तिसंगतीकरण।

54.1 आयकर अधिनियम की धारा 133 के प्रावधान कुछ आयकर प्राधिकारियों को आयकर अधिनियम के अंतर्गत किसी भी जाँच या कार्यवाही के प्रयोजनार्थ सूचना माँगने का अधिकार प्रदान करते हैं। उक्त धारा का दूसरा परंतुक यह प्रावधान करता है कि किसी जाँच के संबंध में, जहाँ कोई कार्यवाही लंबित नहीं है, प्रधान निदेशक या निदेशक या प्रधान आयुक्त या आयुक्त से नीचे के पद के किसी भी आयकर प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्राधिकारियों की पूर्व स्वीकृति के बिना अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

54.2 अन्वेषण निदेशालय में कार्यरत प्राधिकारियों की कार्य प्रोफाइल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उक्त धारा के प्रथम प्रावधान को संशोधित किया गया है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि अधिनियम के अंतर्गत जांच या कार्यवाही के संबंध में, जैसा कि उक्त धारा के खंड (6) में निर्दिष्ट है, शक्ति का प्रयोग संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक द्वारा भी किया जा सकेगा।

54.3 उक्त धारा के दूसरे प्रावधान को भी संशोधित किया गया है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि संयुक्त निदेशक, उप निदेशक या सहायक निदेशक उच्च प्राधिकारियों की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना ऐसी जांच के संबंध में शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

54.4 प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे।

55. सर्वेक्षण करने की शक्ति का विस्तार।

55.1 अधिनियम द्वारा संशोधन से पूर्व, आयकर अधिनियम की धारा 133ए के प्रावधानों में अन्य बातों के साथ-साथ आयकर प्राधिकारी को सर्वेक्षण करने के प्रयोजनार्थ किसी भी स्थान में प्रवेश करने का अधिकार दिया गया था, जहां कोई व्यवसाय या पेशा किया जाता है, या जहां कोई खाता बही या अन्य दस्तावेज या नकदी या स्टॉक का कोई भाग या व्यवसाय या पेशे से संबंधित अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज रखी जाती है।

55.2 आयकर अधिनियम की धारा 133ए में संशोधन करके उक्त धारा का दायरा बढ़ा दिया गया है, जिससे इसमें कोई भी स्थान शामिल हो जाएगा, जहां धर्मार्थ उद्देश्य के लिए कोई गतिविधि की जाती है।

55.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा।

56. धारा 133सी के तहत नोटिस जारी करने और सूचना के प्रसंस्करण को केंद्रीकृत करने के लिए विधायी ढांचा।

56.1 आयकर अधिनियम की धारा 133सी निर्धारित आयकर प्राधिकारी को अपने पास मौजूद सूचना के सत्यापन के उद्देश्य से सूचना और दस्तावेज मांगने के लिए नोटिस जारी करने का अधिकार देती है।

56.2 प्राप्त सूचना और दस्तावेजों के सत्यापन और विश्लेषण में तेजी लाने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 133सी में संशोधन किया गया है, ताकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को अपने पास मौजूद सूचना के सत्यापन, ऐसे दस्तावेजों के प्रसंस्करण और उसके परिणाम को आवश्यक कार्रवाई, यदि कोई हो, के लिए मूल्यांकन अधिकारी को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सूचना और दस्तावेज मांगने के लिए केंद्रीकृत नोटिस जारी करने की योजना बनाने का अधिकार दिया जा सके।

56.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा।

57. कुछ छूट प्राप्त संस्थाओं द्वारा रिटर्न प्रस्तुत करना अनिवार्य।

57.1 आयकर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4सी) के प्रावधानों के अनुसार कुछ संस्थाओं को आयकर से छूट प्राप्त रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है।

57.2 यह सत्यापित करने के लिए कि धारा 10 के तहत छूट का आनंद लेने वाली कुछ संस्थाएं वास्तव में उन गतिविधियों को करती हैं जिनके लिए अधिनियम के तहत छूट प्रदान की गई है, यह प्रावधान किया गया है कि आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23एएए) में निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति, खंड (23ईसी) या खंड (23ईडी) में निर्दिष्ट निवेशक संरक्षण निधि, खंड (23ईई) में संदर्भित कोर सेटलमेंट गारंटी फंड और खंड (29ए) में संदर्भित किसी भी बोर्ड या प्राधिकरण को भी अनिवार्य रूप से आय का रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

57.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के वर्षों से लागू होगा।

58. आधार संख्या उद्धृत करना।

58.1 ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहाँ एक ही व्यक्ति को कई पैन आवंटित किए गए हैं या एक ही पैन कई व्यक्तियों को आवंटित किया गया है। पैन डेटाबेस के दोहराव को दूर करने के लिए, आयकर अधिनियम में एक नई धारा 139AA जोड़ी गई है, जिसमें यह प्रावधान है कि आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र प्रत्येक व्यक्ति को 1 जुलाई, 2017 को या उसके बाद निम्नलिखित संख्या बतानी होगी -

(i) स्थायी खाता संख्या (पैन) के आवंटन के लिए आवेदन पत्र में;

(ii) प्रस्तुत आय विवरणी में।

58.2 यह भी प्रावधान किया गया है कि जहां ऐसे व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं है, वहां आधार आवेदन पत्र की नामांकन आईडी उद्धृत की जाएगी।

58.3 यह भी प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास 1 जुलाई 2017 को पैन है और जो आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे केन्द्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली तारीख को या उससे पहले निर्धारित प्राधिकारी को ऐसे प्रारूप और तरीके से अपना आधार नंबर सूचित करना होगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है; और उक्त तिथि तक आधार नंबर सूचित करने में विफल रहने की स्थिति में, ऐसे व्यक्ति को आवंटित पैन अवैध माना जाएगा और आयकर अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे जैसे कि व्यक्ति ने पैन के आवंटन के लिए आवेदन नहीं किया है।

58.5 यह भी प्रावधान किया गया है कि केन्द्रीय सरकार ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को अधिसूचित कर सकती है जिन पर उक्त धारा के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

58.6 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा।

59. निर्धारित समय के भीतर रिटर्न की प्रक्रिया करना तथा कुछ मामलों में रिफंड को रोकना।

59.1 वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधन से पहले, आयकर अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1डी) के प्रावधान निर्दिष्ट करते हैं कि रिटर्न का प्रसंस्करण आवश्यक नहीं होगा, जहां उक्त धारा की उप-धारा (2) के तहत करदाता को नोटिस जारी किया गया है।

59.2 उक्त उपधारा को वित्त अधिनियम, 2016 के तहत संशोधित किया गया था और यह प्रावधान किया गया था कि कर निर्धारण वर्ष 2017-18 से, कर निर्धारण आदेश पारित करने से पहले आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के तहत कार्यवाही की जानी है।

59.3 वास्तविक मामलों में रिफंड जारी करने में देरी की शिकायत को दूर करने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 143(1डी) में एक प्रावधान जोड़ा गया है, जिसमें निर्दिष्ट किया गया है कि उक्त उप-धारा के प्रावधान आकलन वर्ष 2017-18 और उसके बाद के लिए प्रस्तुत रिटर्न के संबंध में लागू नहीं होंगे।

59.4 तथापि, संदिग्ध मामलों में राजस्व की वसूली की चिंता को दूर करने के लिए आयकर अधिनियम में एक नई धारा 241ए जोड़ी गई है, जो यह प्रावधान करती है कि 1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद शुरू होने वाले कर निर्धारण वर्ष के लिए प्रस्तुत रिटर्न के लिए, जहां आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के तहत करदाता को किसी राशि की वापसी देय हो जाती है और कर निर्धारण अधिकारी की राय है कि कर वापसी प्रदान करने से राजस्व की वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो वह लिखित में दर्ज कारणों से और प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से कर निर्धारण की तारीख तक कर वापसी को रोक सकता है।

59.5 प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर निर्धारण वर्ष 2017-18 और उसके बाद के वर्षों के लिए प्रस्तुत रिटर्न पर लागू होंगे।

60. मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना को पूरा करने के लिए समय-सीमा को युक्तिसंगत बनाना तथा संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए समय को कम करना।

60.1 आयकर अधिनियम की धारा 153 के प्रावधान उसमें उल्लिखित मामलों के मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना के पूरा होने की समय-सीमा निर्दिष्ट करते हैं।

60.2 मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करने और प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ने के प्रयास में, विभाग में बड़े पैमाने पर कम्प्यूटरीकरण किया गया है, जिससे विभाग के कामकाज में समग्र रूप से बेहतर दक्षता आई है। इसी के मद्देनजर, आयकर अधिनियम की धारा 153 की उपधारा (1) में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि आकलन वर्ष 2018-19 के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 143 या 144 के अंतर्गत आकलन आदेश जारी करने की समय-सीमा आकलन वर्ष की समाप्ति से इक्कीस महीने से घटाकर अठारह महीने कर दी जाएगी, और आकलन वर्ष 2019-20 और उसके बाद के लिए, उक्त समय-सीमा उस आकलन वर्ष की समाप्ति से बारह महीने होगी जिसमें आय पहली बार आकलन योग्य थी।

60.3 आयकर अधिनियम की धारा 153 की उपधारा (2) में आगे संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि 1 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत दिए गए नोटिस के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 147 के तहत मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना का आदेश देने की समय सीमा उस वित्तीय वर्ष के अंत से बारह महीने होगी जिसमें धारा 148 के तहत नोटिस दिया गया है।

60.4 आयकर अधिनियम की धारा 153 की उपधारा (3) में भी संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि वित्तीय वर्ष 2019-20 और उसके बाद आयकर अधिनियम की धारा 254 या 263 या 264 के तहत पारित या प्राप्त आदेश के अनुसरण में नए मूल्यांकन का आदेश देने की समय सीमा उस वित्तीय वर्ष के अंत से बारह महीने होगी जिसमें धारा 254 के तहत आदेश प्राप्त होता है या धारा 263 या 264 के तहत आदेश उसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पारित किया जाता है।

60.5 प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे।

60.6 आयकर अधिनियम की धारा 153 की उपधारा (5) में भी संशोधन किया गया है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां आयकर अधिनियम की धारा 250 या 254 या 260 या 262 या 263 या 264 के तहत किसी आदेश में करदाता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के माध्यम से किसी मुद्दे का सत्यापन अपेक्षित हो या जहां करदाता को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना हो, वहां आयकर अधिनियम की धारा 153 की उपधारा (3) में नए कर निर्धारण से संबंधित समय सीमा ऐसे आदेश को प्रभावी करने वाले आदेश पर लागू होगी।

60.7 आयकर अधिनियम की धारा 153 की उप-धारा (9) में भी संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां अधिनियम की धारा 142 की उप-धारा (1) या आयकर अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (2) या आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस 1 जून, 2016 से पहले जारी किया गया है और आयकर अधिनियम की धारा 153 के स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट समय के बहिष्कार के कारण ऐसी तारीख तक मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन पूरा नहीं हुआ है, ऐसा मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन आयकर अधिनियम की धारा 153 के प्रावधानों के अनुसार पूरा किया जाएगा जैसा कि यह वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा इसके प्रतिस्थापन से तुरंत पहले था।

60.8 प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 जून, 2016 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होंगे।

60.9 आयकर अधिनियम की धारा 153 के स्पष्टीकरण 1 के तीसरे प्रावधान को भी संशोधित किया गया है, जिससे आयकर अधिनियम की धारा 153बी का संदर्भ समाप्त हो गया है।

60.10 आयकर अधिनियम की धारा 245ए के खंड (बी) के स्पष्टीकरण में कार्यवाही के समापन के अर्थ को भी संशोधित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि कार्यवाही का समापन आयकर अधिनियम की धारा 153 की उपधारा (1) के तहत मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन करने के लिए निर्दिष्ट समय के अनुसार लगाया जाएगा।

60.11 प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे।

60.12 जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, संवीक्षा आकलन में तेजी लाने के लिए, यह आवश्यक है कि किसी आकलन वर्ष के रिटर्न भी आकलन वर्ष के अंत तक फ्रीज कर दिए जाएँ। इसलिए, आयकर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (5) के प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि संशोधित रिटर्न प्रस्तुत करने का समय संबंधित आकलन वर्ष के अंत तक या आकलन पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, उपलब्ध रहेगा।

60.13 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के वर्षों से लागू होगा।

61. खोज मूल्यांकन पूरा करने के लिए समय सीमा के संबंध में प्रावधानों का युक्तिकरण।

61.1 आयकर अधिनियम की धारा 153बी के प्रावधान आयकर अधिनियम की धारा 153ए के तहत मूल्यांकन पूरा करने के लिए समय सीमा प्रदान करते हैं।

61.2 चूंकि आयकर अधिनियम की धारा 153 के तहत मूल्यांकन पूरा करने की समय-सीमा को युक्तिसंगत बनाया गया है, इसलिए आयकर अधिनियम की धारा 153ए के तहत मूल्यांकन पूरा करने की समय-सीमा भी परिणामस्वरूप युक्तिसंगत है। आयकर अधिनियम की धारा 153बी की उप-धारा (1) में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में किए गए तलाशी और जब्ती के मामलों के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 153ए के तहत मूल्यांकन आदेश देने की समय-सीमा उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से इक्कीस महीने से घटाकर अठारह महीने कर दी जाएगी जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 132 के तहत तलाशी के लिए या आयकर अधिनियम की धारा 132ए के तहत अधिग्रहण के लिए अंतिम प्राधिकरण निष्पादित किया गया था। यह भी प्रावधान किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 और उसके बाद किए गए तलाशी और जब्ती के मामलों के लिए उक्त समय-सीमा को उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से घटाकर बारह महीने कर दिया जाएगा, जिसमें धारा 132 के तहत तलाशी या धारा 132ए के तहत अधिग्रहण के लिए अंतिम प्राधिकरण निष्पादित किया गया था।

61.3 यह भी प्रावधान किया गया है कि धारा 153सी में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति के मामले में मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन करने के लिए सीमा अवधि, उस व्यक्ति के मामले में मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन करने के लिए उपलब्ध अवधि होगी जिस पर तलाशी ली गई है या वित्तीय वर्ष के अंत से बारह महीने जिसमें लेखा पुस्तकें या दस्तावेज या जब्त या अधिग्रहीत संपत्ति धारा 153सी के तहत ऐसे अन्य व्यक्तियों पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मूल्यांकन अधिकारी को सौंपी जाती है, जो भी बाद में हो।

61.4 उक्त धारा के स्पष्टीकरण में एक परंतुक जोड़ा गया है, जिससे यह प्रावधान हो सके कि जहां निपटान आयोग के समक्ष कार्यवाही धारा 245HA के अंतर्गत समाप्त हो जाती है, वहां कर निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन के लिए इस धारा के अंतर्गत उपलब्ध सीमा अवधि धारा 245HA की उपधारा (4) के अंतर्गत अवधि के अपवर्जन के पश्चात एक वर्ष से कम नहीं होगी; और जहां सीमा अवधि एक वर्ष से कम है, वहां इसे एक वर्ष तक बढ़ा दिया गया माना जाएगा।

61.5 प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे।

61.6 धारा 153बी की उपधारा (3) में भी संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां धारा 153ए या धारा 153सी के तहत नोटिस 1 जून, 2016 से पहले जारी किया गया है और स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट समय के बहिष्कार के कारण ऐसी तारीख तक मूल्यांकन पूरा नहीं हुआ है, ऐसा मूल्यांकन इस धारा के प्रावधानों के अनुसार पूरा किया जाएगा जैसा कि यह वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा इसके प्रतिस्थापन से तुरंत पहले था।

61.7 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 जून, 2016 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगा।

62. विवाद के मामलों में भुगतान किए गए विदेशी कर के लिए क्रेडिट का दावा सक्षम करना।

62.1 आयकर अधिनियम की धारा 155 के प्रावधानों में कुछ निर्दिष्ट त्रुटियों के मामले में मूल्यांकन आदेश में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है।

62.2 आयकर नियम, 1962 के नियम 128 के मद्देनजर, जो विदेशी कर क्रेडिट के दावे के लिए एक तंत्र प्रदान करता है, धारा 155 में एक नई उप-धारा (14ए) डाली गई है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां संबंधित कर निर्धारण वर्ष के लिए भुगतान किए गए विदेशी करों के लिए क्रेडिट इस आधार पर नहीं दिया जाता है कि ऐसे विदेशी कर का भुगतान विवाद में था, तो कर निर्धारण अधिकारी कर निर्धारण आदेश या धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत सूचना को संशोधित करेगा, यदि करदाता, विवाद के निपटारे वाले महीने के अंत से छह महीने के भीतर, ऐसे विवाद के निपटारे का सबूत प्रस्तुत करता है, कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि विदेशी कर देयता का निर्वहन किया गया है और एक वचनबद्धता प्रस्तुत करता है कि भुगतान किए गए विदेशी कर की ऐसी राशि का क्रेडिट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दावा नहीं किया गया है या किसी अन्य कर निर्धारण वर्ष के लिए दावा नहीं किया जाएगा।

62.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के वर्षों से लागू होगा।

63. कुछ व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में स्रोत पर कर की कटौती।

63.1 आयकर अधिनियम की धारा 194-I के प्रावधानों में, अन्य बातों के साथ-साथ, एक सीमा से अधिक किराया प्राप्तकर्ता के खाते में जमा या भुगतान के समय स्रोत पर कर कटौती का प्रावधान है। इसमें यह भी प्रावधान है कि कोई व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), जो किराए के रूप में ऐसी आय जमा या भुगतान किए जाने वाले वित्तीय वर्ष से ठीक पहले के किसी वित्तीय वर्ष के लिए धारा 44AB के अंतर्गत कर लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी है, उसे इस धारा के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती की आवश्यकता होगी।

63.2 इसलिए, उपर्युक्त धारा के प्रावधानों के तहत, एक व्यक्ति और एचयूएफ, एक भुगतानकर्ता होने के नाते (कर लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी लोगों के अलावा) आयकर अधिनियम की धारा 194-आई के दायरे से बाहर हैं।

63.3 स्रोत पर कर कटौती के दायरे को बढ़ाने के लिए, आयकर अधिनियम में एक नई धारा 194-आईबी जोड़ी गई है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि व्यक्ति या एचयूएफ (आयकर अधिनियम की धारा 44एबी के अंतर्गत आने वाले को छोड़कर) जो पिछले वर्ष के दौरान किसी महीने या महीने के किसी भाग के लिए किराए के रूप में किसी निवासी को पचास हजार रुपये से अधिक की आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हैं, वे उस आय पर आयकर के रूप में पांच प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती करेंगे।

63.4 यह भी प्रावधान किया गया है कि ऐसी आय पर कर की कटौती, पिछले वर्ष के अंतिम माह के लिए या किरायेदारी के अंतिम माह के लिए, यदि संपत्ति वर्ष के दौरान खाली कर दी जाती है, जैसा भी मामला हो, भुगतानकर्ता के खाते में जमा करते समय या नकद में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य तरीके से भुगतान करते समय, जो भी पहले हो, की जाएगी।

63.5 अनुपालन भार को कम करने के लिए, यह भी प्रावधान किया गया है कि आयकर अधिनियम की धारा 203ए के अनुसार, कटौतीकर्ता को कर कटौती खाता संख्या (टीएन) प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, यह भी प्रावधान किया गया है कि कटौतीकर्ता पिछले वर्ष में केवल एक बार ही कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी होगा।

63.6 यह भी प्रावधान किया गया है कि जहां आयकर अधिनियम की धारा 206ए के प्रावधानों के अनुसार कर की कटौती की जानी अपेक्षित है, ऐसी कटौती, पिछले वर्ष के अंतिम माह या किरायेदारी के अंतिम माह, जैसा भी मामला हो, के लिए देय किराये की राशि से अधिक नहीं होगी।

63.7 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 जून, 2017 से प्रभावी होगा।

64. धारा 194जे के तहत व्यावसायिक या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के मामले में स्रोत पर कर कटौती के प्रावधानों का सरलीकरण।

64.1 आयकर अधिनियम की धारा 194जे की उपधारा (1) के प्रावधानों में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्दिष्ट किया गया है कि किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को पेशेवर सेवाओं के लिए फीस या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में किसी निवासी को देय या भुगतान की गई किसी भी राशि (जो भी पहले हो) के दस प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती करने की आवश्यकता है, बशर्ते कि भुगतान की गई/देय राशि या भुगतान की गई/देय राशि का कुल योग एक वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति को तीस हजार रुपये से अधिक हो।

64.2 व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए, धारा 194जे में संशोधन किया गया है, ताकि भुगतान प्राप्त होने या प्राप्तकर्ता को जमा किए जाने वाले भुगतान के मामले में स्रोत पर कर की कटौती की दर को दस प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत किया जा सके, जो केवल कॉल सेंटर के संचालन के व्यवसाय में लगे व्यक्ति हैं।

64.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 जून, 2017 से प्रभावी होगा।

65. आरएफसीटीएलएआर अधिनियम, 2013 के तहत छूट प्राप्त मुआवजे के मामले में कर की कटौती न करना।

65.1 आयकर अधिनियम की धारा 194एलए के प्रावधानों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि मुआवजा देने वाला कोई भी व्यक्ति, किसी भी अचल संपत्ति (कृषि भूमि के अलावा) के अनिवार्य अधिग्रहण के कारण मुआवजे या बढ़े हुए मुआवजे या विचार पर दस प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर की कटौती करेगा, जो कि वर्तमान में लागू किसी भी कानून के तहत उसमें निर्दिष्ट कुछ शर्तों के अधीन होगा।

65.2 केंद्र सरकार ने 26 सितंबर, 2013 को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ('आरएफसीटीएलएआर अधिनियम') नामक एक नया कानून बनाया है, जो 1 जनवरी, 2014 से लागू हुआ। आरएफसीटीएलएआर अधिनियम की धारा 96 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि उक्त अधिनियम की धारा 46 में उल्लिखित सीमाओं के अधीन किसी भी पंचाट या समझौते पर आयकर नहीं लगाया जाएगा। इसलिए, आरएफसीटीएलएआर अधिनियम के तहत भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए प्राप्त प्रतिकर (आरएफसीटीएलएआर अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत किए गए प्रतिकर को छोड़कर) आयकर से मुक्त है।

65.3 बोर्ड ने दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 को परिपत्र संख्या 36/2016 जारी कर स्पष्ट किया है कि किसी भी ऐसे पंचाट या समझौते के संबंध में प्राप्त मुआवज़ा, जिसे आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की धारा 96 के तहत आयकर से छूट दी गई है, आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर योग्य नहीं होगा, भले ही आयकर अधिनियम के तहत ऐसे मुआवज़े के लिए छूट का कोई विशिष्ट प्रावधान न हो। हालाँकि, इस परिपत्र में केवल भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण पर प्राप्त मुआवज़े की कर-देयता से संबंधित मामले को संबोधित किया गया था, न कि आयकर अधिनियम की धारा 194एलए के तहत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित।

65.4 आयकर अधिनियम के प्रावधानों को आरसीएफटीएलएआरआर अधिनियम के साथ सुसंगत बनाने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 194एलए को संशोधित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि इस धारा के तहत कोई कटौती नहीं की जाएगी, जहां ऐसा भुगतान किसी ऐसे पुरस्कार या समझौते के संबंध में किया जाता है जिसे आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की धारा 96 (धारा 46 के तहत किए गए को छोड़कर) के तहत आयकर लगाने से छूट दी गई है।

65.5 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 जून, 2017 से प्रभावी होगा।

66. बाह्य वाणिज्यिक उधार के मामले में ब्याज पर रियायती कर दर की पात्र अवधि का विस्तार और रुपया मूल्यवर्गित बांडों के लिए लाभ का विस्तार।

66.1 आयकर अधिनियम की धारा 194एलसी के प्रावधानों में यह प्रावधान है कि किसी निर्दिष्ट कंपनी द्वारा किसी अनिवासी को भारत के बाहर के स्रोतों से ऋण समझौते के तहत या दीर्घकालिक अवसंरचना बांड सहित किसी दीर्घकालिक बांड के जारी करने के माध्यम से विदेशी मुद्रा में लिए गए उधार पर देय ब्याज पांच प्रतिशत की रियायती टीडीएस के लिए पात्र होगा।

66.2 अधिनियम द्वारा संशोधन से पहले, इसमें आगे यह प्रावधान था कि उधार 1 जुलाई, 2012 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई, 2017 से पहले किसी भी समय ऋण समझौते के तहत लिया जाएगा, या 1 अक्टूबर, 2014 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई, 2017 से पहले दीर्घकालिक अवसंरचना बांड सहित किसी दीर्घकालिक बांड के माध्यम से लिया जाएगा।

66.3 विदेशी पूंजी के आगमन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 194एलसी के तहत टीडीएस की रियायती दर के विस्तार के लिए अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए।

66.4 इसलिए, आयकर अधिनियम की धारा 194एलसी में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि इस धारा के तहत ब्याज भुगतान पर पांच प्रतिशत टीडीएस की रियायती दर अब 1 जुलाई, 2020 से पहले किए गए उधार के संबंध में उपलब्ध होगी।

66.5 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों से लागू होगा।

66.6 इसके अलावा, रुपया मूल्यवर्ग वाले बांडों पर टीडीएस की कम दर का लाभ देने के लिए विभिन्न हितधारकों की मांग के परिणामस्वरूप, 29 अक्टूबर, 2015 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें स्पष्ट किया गया कि 5 प्रतिशत की दर से टीडीएस इन बांडों पर उसी तरह लागू होगा, जिस तरह यह ऑफ-शोर डॉलर मूल्यवर्ग वाले बांडों के लिए लागू है।

66.7 उपरोक्त को प्रभावी करने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 194एलसी में संशोधन किया गया है ताकि 1 जुलाई, 2020 से पहले भारत के बाहर जारी किए गए रुपया मूल्यवर्ग बांड पर इस धारा का लाभ बढ़ाया जा सके।

66.8 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों से लागू होगा।

67. धारा 194एलडी के तहत रियायती कर दर की पात्र अवधि का विस्तार।

67.1 अधिनियम द्वारा संशोधन से पहले, आयकर अधिनियम की धारा 194एलडी के प्रावधानों में 1 जून, 2013 को या उसके बाद लेकिन 1 जुलाई, 2017 से पहले किसी भी समय विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) और अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशकों (क्यूएफआई) को सरकारी प्रतिभूतियों और रुपया मूल्यवर्गित कॉर्पोरेट बांडों में उनके निवेश पर देय ब्याज के मामले में पांच प्रतिशत की दर से कम टीडीएस का प्रावधान था, बशर्ते कि ब्याज की दर इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित दर से अधिक न हो।

67.2 हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए, आयकर अधिनियम की धारा 194एलडी में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि ब्याज पर पांच प्रतिशत टीडीएस की रियायती दर अब 1 जुलाई, 2020 से पहले देय ब्याज पर उपलब्ध होगी।

67.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों से लागू होगा।

68. धारा 194डी के तहत निर्दिष्ट कमीशन भुगतान के लिए फॉर्म 15जी/15एच दाखिल करना संभव बनाना।

68.1 आयकर अधिनियम की उप-धारा 194डी के प्रावधानों में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रति वित्तीय वर्ष 15,000 रुपये की सीमा से अधिक बीमा कमीशन के रूप में किए गए भुगतानों पर पाँच प्रतिशत की दर से टीडीएस का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम की धारा 197ए के प्रावधानों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी प्रावधान है कि यदि कुछ भुगतानों, जिन पर कर कटौती योग्य है, का प्राप्तकर्ता, भुगतानकर्ता को निर्धारित प्रपत्र संख्या 15जी/15एच में स्व-घोषणा प्रस्तुत करता है कि संबंधित पिछले वर्ष की उसकी अनुमानित कुल आय पर कर शून्य होगा, तो कर नहीं काटा जाएगा। अधिनियम द्वारा संशोधन से पहले, धारा 194डी में निर्दिष्ट आय के रूप में किया गया भुगतान धारा 197ए के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता था।

68.2 व्यक्तियों और एचयूएफ के मामले में अनुपालन बोझ को कम करने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 197ए में संशोधन किया गया है ताकि व्यक्तियों और एचयूएफ को आयकर अधिनियम की धारा 194डी में संदर्भित बीमा कमीशन के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती न करने के लिए फॉर्म संख्या 15जी/15एच में स्व-घोषणा दाखिल करने के लिए पात्र बनाया जा सके।

68.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 जून, 2017 से प्रभावी होगा।

69. धारा 195 की उपधारा (6) के अंतर्गत आने वाले भुगतानों के मामले में 'भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति' की परिभाषा।

69.1 आयकर अधिनियम की धारा 204 के प्रावधान 'भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति' की परिभाषा प्रदान करते हैं, जिसमें नियोक्ता, कंपनी या उसका प्रमुख अधिकारी या भुगतानकर्ता शामिल हैं।

69.2 उक्त धारा का खंड (iii) अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभार्य किसी राशि के जमा या भुगतान के मामले में, 'भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति' स्वयं भुगतानकर्ता होगा, या यदि भुगतानकर्ता कोई कंपनी है, तो कंपनी स्वयं, जिसमें उसका प्रमुख अधिकारी भी शामिल है। हालाँकि, उक्त धारा आयकर अधिनियम की धारा 195 की उप-धारा (6) के अंतर्गत किसी राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को कवर नहीं करती थी, जिसमें 'भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति' को किसी भी राशि के भुगतान से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया था, चाहे वह कर योग्य हो या नहीं।

69.3 आयकर अधिनियम की धारा 195(6) के अनुसार किसी निवासी द्वारा किसी अनिवासी को भुगतान किए जाने की स्थिति में 'भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति' के अर्थ में स्पष्टता लाने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 204 में संशोधन किया गया है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि किसी अनिवासी, जो कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को किसी राशि के भुगतान से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने के मामले में, चाहे वह आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभार्य हो या न हो, 'भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति' स्वयं भुगतानकर्ता होगा, या यदि भुगतानकर्ता कोई कंपनी है, तो स्वयं कंपनी, जिसमें उसका प्रमुख अधिकारी भी शामिल है।

69.4 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा।

70. कुछ निर्दिष्ट वस्तुओं, सेवाओं और खरीदारों के मामले में धारा 206 सी के तहत स्रोत पर कर संग्रह से छूट।

70.1 आयकर अधिनियम की धारा 206सी की उपधारा (1एफ) के प्रावधानों में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्दिष्ट किया गया है कि विक्रेता, जो मोटर वाहन की बिक्री के लिए दस लाख रुपये से अधिक का प्रतिफल प्राप्त करता है, वह क्रेता से बिक्री प्रतिफल का एक प्रतिशत कर के रूप में वसूल करेगा।

70.2 कुछ मामलों में अनुपालन बोझ को कम करने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 206सी में संशोधन किया गया है ताकि यह निर्दिष्ट किया जा सके कि खरीदारों के निम्नलिखित वर्ग उक्त उपधारा के प्रावधान की प्रयोज्यता से मुक्त हैं:

- (i) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, दूतावास, उच्चायोग, दूतावास, आयोग, वाणिज्य दूतावास और किसी विदेशी राज्य का व्यापार प्रतिनिधित्व;
- (ii) धारा 10 के खंड (20) के स्पष्टीकरण में परिभाषित स्थानीय प्राधिकरण;
- (iii) एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जो यात्रियों को ले जाने के व्यवसाय में लगी हुई है।

70.3 प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे।

71. टीसीएस व्यवस्था में पैन उद्धृत करने की व्यवस्था को मजबूत करना।

71.1 आयकर अधिनियम की धारा 206AA के अंतर्गत पैन न बताने की स्थिति में 20 प्रतिशत या लागू दर (जो भी अधिक हो) की उच्च दर से टीडीएस के लिए वैधानिक प्रावधान किए गए हैं और यह अप्रैल, 2010 से लागू है। विभागीय डेटाबेस में सूचनाओं को जोड़ने के लिए पैन एक सामान्य सूत्र के रूप में कार्य करता है। पैन आवंटन की प्रक्रिया को सरल और सुदृढ़ बनाया गया है। पैन के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है और एक सप्ताह से भी कम समय में पैन आवंटित कर दिया जाता है।

71.2 पैन उद्धृत करने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, आयकर अधिनियम में एक नई धारा 206सीसी जोड़ी गई है, जो निम्नलिखित प्रावधान करती है:

- (i) कोई भी व्यक्ति जो किसी राशि या रकम का भुगतान करता है, जिस पर अध्याय XVII बी बी के तहत स्रोत पर कर संग्रहणीय है

(जिसे इसके बाद संग्रहकर्ता के रूप में संदर्भित किया जाएगा) उसे ऐसे कर को एकत्र करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति (जिसे इसके बाद संग्रहकर्ता के रूप में संदर्भित किया जाएगा) को अपना पैन प्रदान करना होगा, ऐसा न करने पर कर अध्याय XVII बी बी के तहत संबंधित अनुभाग में उल्लिखित दर से दोगुनी दर या पांच प्रतिशत की दर से, जो भी अधिक हो, एकत्र किया जाएगा।

- (ii) धारा 206सी की उपधारा (1ए) के तहत दाखिल घोषणा तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि घोषणा दाखिल करने वाला व्यक्ति ऐसी घोषणा में अपना पैन प्रस्तुत नहीं करता है।
- (iii) यदि उपधारा (2) के अंतर्गत कोई घोषणा अवैध हो जाती है, तो कलेक्टर उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कर एकत्र करेगा।
- (iv) धारा 206सी की उपधारा (9) के अंतर्गत कोई भी प्रमाण पत्र तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक उसमें आवेदक का पैन न हो।
- (वी) यह सुनिश्चित करने के लिए कि संग्रहकर्ता को संग्रहकर्ता के सही पैन के बारे में जानकारी हो, संग्रहकर्ता और संग्रहकर्ता दोनों द्वारा सभी पत्राचार, बिलों और वाउचरों के आदान-प्रदान में संग्रहकर्ता के पैन का उल्लेख करना अनिवार्य किया गया है।
- (छठी) संग्रहकर्ता को अपना पैन नंबर संग्रहकर्ता को प्रस्तुत करना होगा, जो संग्रहकर्ता को भेजे जाने वाले सभी पत्राचार, बिल, वाउचर और अन्य दस्तावेजों में इसका उल्लेख करेगा।
- (सात) जहां संग्रहकर्ता द्वारा प्रदान किया गया पैन अवैध है या वह संग्रहकर्ता का नहीं है, तो यह माना जाएगा कि संग्रहकर्ता को पैन उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- (आठ) वह अनिवासी जिसका भारत में स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है, उसे उक्त धारा के प्रावधानों के लागू होने से छूट प्राप्त है।

71.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2017-18 और उसके बाद के वर्षों से लागू होगा।

72. अग्रिम कर से संबंधित धारा 211 और धारा 234सी का युक्तिकरण।

72.1 आयकर अधिनियम की धारा 211 अग्रिम कर की किश्तों और उसे जमा करने की नियत तिथियों का प्रावधान करती है। आयकर अधिनियम की धारा 211 की उप-धारा (1) के खंड (ख) में प्रावधान है कि आयकर अधिनियम की धारा 44एडी में निर्दिष्ट पात्र व्यवसाय में संलग्न पात्र करदाता को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 15 मार्च को या उससे पहले एक ही किश्त में अग्रिम कर का भुगतान करना होगा।

72.2 वित्त अधिनियम, 2016 के तहत , प्रकल्पित कराधान व्यवस्था को पेशेवरों पर भी लागू कर दिया गया है। तदनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 211 के उक्त खंड (ख) में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि आयकर अधिनियम की धारा 44ADA के अंतर्गत प्रदत्त प्रकल्पित कराधान व्यवस्था के अनुसार लाभ और प्राप्ति की घोषणा करने वाले करदाता को 15 मार्च को या उससे पहले एक किश्त में अग्रिम कर का भुगतान करना होगा।

72.3 आयकर अधिनियम की धारा 234सी की उपधारा (1) में भी संशोधन किया गया है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि आयकर अधिनियम की धारा 44एडीए में निर्दिष्ट करदाता के संबंध में, उक्त धारा के अंतर्गत ब्याज लगाया जाएगा, यदि 15 मार्च को या उससे पहले भुगतान किया गया अग्रिम कर, लौटाई गई आय पर देय कर से कम है।

72.4 वित्त अधिनियम, 2016 के तहत , घरेलू कंपनियों से प्राप्त कुछ लाभांशों पर 1 अप्रैल, 2017 से आयकर अधिनियम की धारा 115BBDA के अंतर्गत कर लगाया गया था, यदि ऐसी आय दस लाख रुपये से अधिक हो। हालाँकि, लाभांश आय की घोषणा और प्राप्ति की अनिश्चित प्रकृति को देखते हुए, अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी एक करदाता आयकर अधिनियम की धारा 211 के तहत निर्दिष्ट भुगतान अनुसूची के भीतर इस तरह के दायित्व का सही निर्धारण करने में सक्षम नहीं हो सकता है और इसलिए, आयकर अधिनियम की धारा 234C(1) के खंड (क) या (ख) के तहत निर्दिष्ट अग्रिम कर के आस्थान पर ब्याज का आरोपण होगा।

72.5 इसलिए यह प्रावधान किया गया है कि यदि अग्रिम कर के भुगतान में कमी आयकर अधिनियम की धारा 115बीबीडीए में निर्दिष्ट प्रकृति की आय के कम आकलन या आकलन में विफलता के कारण है, तो आयकर अधिनियम की धारा 234सी के तहत ब्याज उसमें निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति के अधीन नहीं लगाया जाएगा।

72.6 प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार कर निर्धारण वर्ष 2017-18 और उसके बाद के वर्षों से लागू होंगे।

73. रिटर्न देरी से दाखिल करने पर शुल्क।

73.1 कर अनुपालन में सुधार और कर प्रशासन में सूचना के प्रभावी उपयोग हेतु गैर-हस्तक्षेपकारी सूचना-आधारित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि आयकर अधिनियम की धारा 139(1) में निर्दिष्ट नियत तिथियों के भीतर रिटर्न दाखिल किए जाएँ। इसके अलावा, मूल्यांकन करने के लिए प्रदान की गई कम समय-सीमा भी इस पूर्व-आवश्यकता पर आधारित है कि रिटर्न समय पर दाखिल किए जाएँ।

73.2 यह सुनिश्चित करने के लिए कि रिटर्न नियत तिथि के भीतर दाखिल किया जाए, आयकर अधिनियम में एक नई धारा 234F जोड़ी गई है, जिसके अनुसार

कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के वर्षों के लिए रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए शुल्क लगाया जाएगा, यदि आयकर अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्दिष्ट नियत तिथियों के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है। शुल्क संरचना इस प्रकार है:—

- (i) यदि रिटर्न निर्धारित तिथि के बाद लेकिन कर निर्धारण वर्ष की 31 दिसंबर को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाता है तो पांच हजार रुपये का शुल्क देय होगा;
- (ii) किसी अन्य मामले में दस हजार रुपये का शुल्क देय होगा।

73.3 तथापि, ऐसे मामले में जहां कुल आय पांच लाख रुपये से अधिक नहीं है, यह प्रावधान है कि शुल्क राशि एक हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।

73.4 उपर्युक्त के मद्देनजर, आयकर अधिनियम की धारा 140ए में संशोधन किया गया है, जिसमें यह प्रावधान शामिल किया गया है कि आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने में देरी के मामले में, देय कर और ब्याज के साथ-साथ आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने में देरी के लिए शुल्क भी देय होगा।

73.5 आयकर अधिनियम की धारा 143 में भी संशोधन किया गया है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि उक्त उपधारा के अंतर्गत रिटर्न के प्रसंस्करण के कारण देय राशि या रिफंड की गणना में, जैसा भी मामला हो, आयकर अधिनियम की धारा 234एफ के अंतर्गत देय शुल्क को भी ध्यान में रखा जाएगा।

73.6 परिणामस्वरूप, यह भी प्रावधान किया गया है कि आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता के लिए दंड के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 271एफ के प्रावधान आकलन वर्ष 2018-19 और उसके बाद के संबंध में लागू नहीं होंगे।

73.7 प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके बाद के वर्षों से लागू होंगे।

74. कटौतीकर्ता को देय धन वापसी पर ब्याज।

74.1 आयकर अधिनियम की धारा 244ए के प्रावधानों में यह प्रावधान है कि करदाता अग्रिम कर, स्रोत पर कर कटौती या संग्रहण आदि के अतिरिक्त भुगतान से उत्पन्न होने वाली वापसी पर ब्याज प्राप्त करने का हकदार है।

74.2 आयकर अधिनियम की धारा 244ए में एक नई उप-धारा (1बी) जोड़ी गई है, जिसमें यह प्रावधान है कि जहाँ कटौतीकर्ता को किसी राशि का रिफंड देय हो, वहाँ ऐसा व्यक्ति रिफंड के अतिरिक्त, उस रिफंड पर साधारण ब्याज पाने का हकदार होगा, जिसकी गणना उस अवधि में शामिल प्रत्येक माह या माह के किसी भाग के लिए, निर्धारित पत्र में रिफंड का दावा करने की तिथि से या अपील में पारित आदेश के मामले में, कर भुगतान की तिथि से लेकर रिफंड स्वीकृत होने की तिथि तक, आधे प्रतिशत की दर से की जाएगी। यह भी प्रावधान है कि उस अवधि के लिए ब्याज नहीं दिया जाएगा जिसके लिए रिफंड में हुई कार्यवाही में कटौतीकर्ता के कारण देरी हुई हो।

74.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा।

75. अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण की संरचना में संशोधन।

75.1 आयकर अधिनियम का अध्याय XIX-बी अधिनियम के तहत अग्रिम निर्णयों से संबंधित है।

75.2 व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सरकार ने आयकर, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क तथा सेवा कर के लिए अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) का विलय करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, इन एएआर के विलय की अनुमति देने के लिए अध्याय XIX-B में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। ये संशोधन निम्नलिखित हैं:

- (i) आयकर अधिनियम की धारा 245एन में आवेदक की परिभाषा को संशोधित किया गया है, ताकि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और वित्त अधिनियम, 1994 (जो सेवा कर मामलों के संबंध में प्रावधान करता है) के तहत अग्रिम निर्णय के लिए किए गए आवेदनों का संदर्भ प्रदान किया जा सके।
- (ii) आयकर अधिनियम की धारा 245-ओ, जो एएआर से संबंधित है, को भी संशोधित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि भारतीय राजस्व सेवा का एक अधिकारी, जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का सदस्य बनने के लिए योग्य है, तथा भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा का एक अधिकारी, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड का सदस्य बनने के लिए योग्य है, एएआर के राजस्व सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होगा।
- (iii) एएआर की दक्षता और प्रभावकारिता में सुधार करने तथा एएआर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए उपलब्ध पूल को बढ़ाने के लिए, धारा 245-ओ में अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता को भी संशोधित किया गया है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, या ऐसा व्यक्ति जो कम से कम सात वर्षों तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, भी एएआर का अध्यक्ष बनने के लिए पात्र होगा।
- (iv) यह भी प्रावधान किया गया है कि राजस्व सदस्य या विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं रिक्ति की तिथि के अनुसार मानी जाएंगी।

- (वी) यह भी प्रावधान है कि यदि अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, या अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए, तो उपाध्यक्ष तब तक अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करेगा, जब तक कि नया अध्यक्ष अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लेता, या जब तक कि वर्तमान अध्यक्ष अपना कार्यभार पुनः नहीं संभाल लेता।
- (छठी) आयकर अधिनियम की धारा 245क्यू, जो अग्रिम न्यायिक निर्णय के लिए आवेदन से संबंधित है, को भी संशोधित किया गया है ताकि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और वित्त अधिनियम, 1994 (जो सेवा कर मामलों के संबंध में प्रावधान करता है) के तहत अग्रिम न्यायिक निर्णय के लिए किए गए आवेदनों का संदर्भ प्रदान किया जा सके।

75.3 प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे।

76. धारा 253 का संशोधन।

76.1 आयकर अधिनियम की धारा 253 की उपधारा (1) के उपधारा (एफ) के प्रावधानों में यह प्रावधान है कि आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23सी) के उपधारा (vi) या उपधारा (via) के अंतर्गत विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील योग्य होगा।

76.2 आयकर अधिनियम की धारा 253 में संशोधन किया गया है और उक्त धारा का दायरा बढ़ाया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि आयकर अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (23सी) के उपखंड (iv) और (v) के अंतर्गत विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश भी अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील योग्य होंगे।

76.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा।

77. नकद लेनदेन पर प्रतिबंध.

77.1 भारत में, घरेलू काले धन की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिससे सरकार के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उसके विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए संसाधनों की कमी हो जाती है। काले धन का लेन-देन आमतौर पर नकद में होता है और बड़ी मात्रा में बेहिसाब धन नकदी के रूप में जमा करके इस्तेमाल किया जाता है।

77.2 काले धन के सृजन और प्रचलन को कम करने के लिए कम नकदी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के सरकार के मिशन को प्राप्त करने के लिए, आयकर अधिनियम में एक नई धारा 269ST डाली गई है, जो यह प्रावधान करती है कि कोई भी व्यक्ति दो लाख रुपये या उससे अधिक की राशि प्राप्त नहीं करेगा, -

- (ए) एक दिन में एक व्यक्ति से कुल मिलाकर;
- (बी) एकल लेनदेन के संबंध में; या
- (सी) किसी व्यक्ति से एक घटना या अवसर से संबंधित लेनदेन के संबंध में, खाता आदाता चेक या खाता आदाता बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के उपयोग के अलावा।

77.3 यह भी प्रावधान है कि उक्त प्रतिबंध सरकार, किसी बैंकिंग कंपनी, डाकघर बचत बैंक या सहकारी बैंक पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, यह भी प्रावधान है कि ऐसे अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग या प्राप्ति को, लिखित रूप में कारण दर्ज करके, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, जिन पर नकद लेनदेन पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। आयकर अधिनियम की धारा 269SS में निर्दिष्ट प्रकृति के लेनदेन उक्त धारा के दायरे से बाहर रखे गए हैं।

77.4 आयकर अधिनियम में एक नई धारा 271DA भी जोड़ी गई है, जो आयकर अधिनियम की धारा 269ST के प्रावधानों का उल्लंघन करके राशि प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाने का प्रावधान करती है। जुर्माना ऐसी प्राप्ति की राशि के बराबर होगा। हालाँकि, यदि व्यक्ति यह साबित कर देता है कि ऐसे उल्लंघन के लिए उचित और पर्याप्त कारण थे, तो उक्त जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। यह भी प्रावधान है कि ऐसा कोई भी जुर्माना संयुक्त आयुक्त द्वारा लगाया जाएगा।

77.5 परिणामी संशोधन आयकर अधिनियम की धारा 206सी में भी संशोधन किया गया है ताकि इसे आयकर अधिनियम की धारा 269एसटी के प्रावधानों के अनुरूप बनाया जा सके।

77.6 प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे।

78. वैधानिक रिपोर्ट या प्रमाण पत्र में गलत जानकारी देने पर पेशेवरों पर जुर्माना।

78.1 हाल के दिनों में सरकार का जोर स्वैच्छिक अनुपालन पर रहा है।

आयकर अधिनियम में विभिन्न रिपोर्टों और प्रमाणपत्रों का एक योग्य पेशेवर द्वारा प्रमाणन सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत करदाता द्वारा दी गई जानकारी सही है। आयकर अधिनियम में गलत जानकारी देने पर चूककर्ता करदाता को दंडित करने के लिए विभिन्न प्रावधान मौजूद हैं। हालाँकि, उस व्यक्ति द्वारा गलत जानकारी देने पर जुर्माना लगाने का कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं था जो इसे प्रमाणित करने के लिए जिम्मेदार है।

78.2 यह सुनिश्चित करने के लिए कि रिपोर्ट या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति ऐसा प्रमाणीकरण करने से पहले उचित तत्परता बरते, आयकर अधिनियम में

एक नई धारा 271जे जोड़ी गई है, जो यह प्रावधान करती है कि यदि कोई लेखाकार या मर्चेट बैंकर या पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता आयकर अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी प्रावधान के तहत रिपोर्ट या प्रमाण पत्र में गलत जानकारी प्रस्तुत करता है, तो मूल्यांकन अधिकारी या आयुक्त (अपील) उसे प्रत्येक ऐसी रिपोर्ट या प्रमाण पत्र के लिए जुर्माने के रूप में दस हजार रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

78.3 'लेखाकार', 'व्यापारी बैंकर' और 'पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता' जैसे पदों को भी परिभाषित किया गया है। आयकर अधिनियम की धारा 273बी में भी संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि यदि व्यक्ति यह साबित कर देता है कि उक्त धारा में उल्लिखित उक्त विफलता के लिए उचित कारण मौजूद थे, तो आयकर अधिनियम की धारा 271जे के अंतर्गत उस पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

78.4 प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे।

79. धारा 112 की प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण।

79.1 आयकर अधिनियम की धारा 112(1)(ग) को वित्त अधिनियम, 2012 के तहत 1 अप्रैल, 2013 से संशोधित किया गया था ताकि अनिवासी व्यक्तियों के मामले में गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के हस्तांतरण से होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर दस प्रतिशत की रियायती कर दर प्रदान की जा सके। इस बात को लेकर अनिश्चितता थी कि क्या आयकर अधिनियम की धारा 112(1)(ग)(iii) के प्रावधान किसी निजी कंपनी के शेयर के हस्तांतरण पर लागू होंगे।

79.2 आयकर अधिनियम की धारा 112(1)(सी) को वित्त अधिनियम, 2016 के तहत संशोधित किया गया था ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि कंपनी का वह हिस्सा जिसमें जनता की पर्याप्त रुचि नहीं है, वह भी 1 अप्रैल, 2017 से दस प्रतिशत की दर से कर के लिए प्रभार्य होगा। चूंकि रियायती दर 1 अप्रैल, 2013 से प्रदान की गई थी, इसलिए बीच की अवधि में संशोधन की प्रयोज्यता के बारे में अनिश्चितता थी।

79.3 यह स्पष्ट करने के लिए कि वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा किया गया संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2017 तक की अवधि पर भी लागू होगा, वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 50 में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा धारा 112(1)(सी)(iii) में किए गए संशोधन की प्रभावी तिथि 01-04-2017 के स्थान पर 01-04-2013 होगी।

79.4 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगा तथा तदनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2013-14 और उसके बाद के कर निर्धारण वर्षों से लागू होगा।

80. आय घोषणा योजना, 2016 के प्रावधानों का युक्तिकरण तथा धारा 153ए और 153सी में परिणामी संशोधन।

80.1 वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 197 के खंड (सी) के प्रावधान यह प्रदान करते हैं कि जहां आय घोषणा योजना, 2016 (योजना) के प्रारंभ होने से पहले कोई आय अर्जित, उत्पन्न या प्राप्त हुई है या ऐसी आय से कोई परिसंपत्ति अर्जित की गई है, और योजना के तहत ऐसी आय के संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई है, तो, ऐसी आय को उस वर्ष में अर्जित, उत्पन्न या प्राप्त माना जाएगा, जैसा भी मामला हो, जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 142 की उप-धारा (1) या धारा 143 की उप-धारा (2) या धारा 148 या धारा 153 ए या धारा 153 सी के तहत एक नोटिस मूल्यांकन अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, और उक्त अधिनियम के प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।

80.2 हितधारकों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों के मद्देनजर, वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 197 में संशोधन किया गया है ताकि उक्त धारा के खंड (सी) को हटा दिया जाए।

80.3 प्रयोज्यता: यह संशोधन 1 जून, 2016 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगा।

80.4 तथापि, ऐसे मामलों में राजस्व के हितों की रक्षा के लिए जहां तलाशी या जब्ती कार्रवाई (धारा 132ए मामलों सहित) के दौरान ठोस साक्ष्य पाए जाते हैं और उसे किसी परिसंपत्ति में अघोषित निवेश के रूप में दर्शाया जाता है, तलाशी मूल्यांकन से संबंधित आयकर अधिनियम की धारा 153ए में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि उक्त धारा के तहत नोटिस पहले से उपलब्ध कराए गए छठे मूल्यांकन वर्ष से आगे दसवें मूल्यांकन वर्ष तक के मूल्यांकन वर्ष या वर्षों के लिए जारी किया जा सकता है यदि—

- (i) मूल्यांकन अधिकारी के पास लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेज या साक्ष्य हैं, जिनसे पता चलता है कि मूल्यांकन से छूटी आय एक वर्ष में या संबंधित चार मूल्यांकन वर्षों (छठे वर्ष से आगे) में कुल मिलाकर पचास लाख रुपये या उससे अधिक है या होने की संभावना है;
- (ii) मूल्यांकन से बचने वाली ऐसी आय को परिसंपत्ति के रूप में दर्शाया जाता है;
- (iii) कर निर्धारण से छूटी आय या उसका कोई भाग ऐसे वर्ष या वर्षों से संबंधित है।

80.5 प्रयोज्यता : आयकर अधिनियम की धारा 153ए के संशोधित प्रावधान वहां लागू होंगे जहां आयकर अधिनियम की धारा 132 के तहत तलाशी शुरू की जाती है या आयकर अधिनियम की धारा 132ए के तहत अधिग्रहण 1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद किया जाता है।

80.6 आयकर अधिनियम की धारा 153सी को भी संशोधित किया गया है ताकि आयकर अधिनियम की धारा 153ए में निर्दिष्ट प्रासंगिक निर्धारण वर्ष या वर्षों

का संदर्भ प्रदान किया जा सके।

80.7 प्रयोज्यता: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे।

